मासिक

अरफ़ात किरण

रायबरेली

मकतबों की अहमियत

"ये छोटे–छोटे मकतबे हमारी बुनियाद हैं, बुनियाद के बग़ैर इमारत बन ही नहीं सकती, ये रीढ़ की हड्डी हैं। जैसे कोई शब्द न जाने, अक्षर न पहचाने, अ, ब, या A, B, C, D किस को कहते हैं अगर ये कोई न जाने तो, अबसद में कैसे जायेगा?पहले तो अ, ब जानना होगा। ऐसे ही मकतब भी हैं, इनकी बड़ी अहमियत है, लोग उनको नज़र अन्दाज़ कर देते हैं, समझते हैं कि ये मामूली हैं। ये ग़ैर मामूली हैं ये बुनियादें हैं, इन्हीं पर सारी इमारत खड़ी होती है, बड़े मदरसे उन पर ही चल रहे हैं, ये छोटे मदरसे जो हैं ये सप्लाई करते हैं और फिर आगे का काम चलता है, तो उनकी अहमियत बहुत ज़्यादा है उन पर ख़र्च करना, अपना माल और वक़्त लगाना, भी ज़्यादा अहमियत रखता है, इसलिये कि ये हमारी बुनियादें हैं और इनसे हमारी पूरी नई नस्ल जुड़ी है।"

हज़रत मौलाना सैय्यद अब्दुल्लाह हसनी नदवी रह०

MAY 13

मर्कज़ुल इमाम अबिल हसन अल नदवी
दारे अरफ़ात, तकिया कलां, रायबरेली

₹10/-

मुहब्बत की तासीर

"एक हदीस में आता है कि अगर किसी को किसी से मुहब्बत हो तो उसको बता भी दे, बताने से मुहब्बत में इज़ाफ़ा हो जाता है और मुहब्बत से लगाव हो जाता है, लगाव से मुहब्बत का फ़ायदा होता है। जब मुहब्बत से आदमी देखता है तो मुहब्बत भी अजीब चीज़ है, उसका असर पड़ कर रहता है, यहां तक कि कई बार चेहरे भी एक रूप हो जाते हैं, जब आदमी को ज़्यादा मुहब्बत हो जाती है किसी अल्लाह के नेक बन्दे से तो आख़िर में उसके चेहरे पर भी असर पड़ने लगते हैं। मुहब्बत करते—करते, साथ रहते—रहते कई बार लोग धोखा खा जाते हैं कि वही आ रहा है। जब दो तरफ़ा मुहब्बत होती है तो ये चीज़ पैदा हो जाती है।"

ज़िन्दा क़ौम

दुनिया में कोई ऐसी क़ौम मौजूद नहीं है जिसके पास चौदह सौ साल की पूंजी ज़्यों की त्यों मौजूद हो, जिसके पास भी पहले की पूंजी थी वो लुट पुट गया, ख़त्म हो गया, और उसका नाम भी बराये नाम बाक़ी है। इसलिये जो इन्साफ़ पसन्द हैं वो कुरआन पाक पर रश्क करते हैं, और जो इन्साफ़ पसन्द नहीं हैं वो हसद करते हैं। कुरआन एक ऐसी चीज़ है, ऐसी ज़िन्दा वा जावेद किताब है, ऐसी जवान है और ज़िन्दगी से ऐसी भरपूर है जो इससे जुड़ जायेगा वो जवान हो जायेगा। दूरदृष्ट हो जायेगा। इन्क़िलाब इसी कुरआन की रोशनी में पैदा होगा, किसी निज़ाम में ताक़त नहीं, वो अन्दर से खोखले और बहुत बोदे हैं, इनसे प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं, वो अपनी फ़ायदा पहुंचाने की योग्यता खो चुके हैं, वो कुरआन पाक के इन्क़िलाब से ख़ायफ़ हैं, इसलिये ग़लत प्रचार कर रहे हैं, आतंकवाद के विषय से आतंकवाद को जन्म दे रहे हैं। मैं सच कहता हूं उनकी ये साज़िश बेनक़ाब हो जायेगी और अपने बिछाये हुए जाल में वो खुद फंस जायेंगे।

मानवता का संदेश

"वास्तव में मानवता का संदेश यही है कि जो एहसान वाले काम हैं, जिनसे एहसान होता है वो काम करने वाले बन जायें, ज़बान से भी लोगों को दावत दें कि इन्सान बनो, हैवान न बनो, यूरोप ने तुमको हैवानियत सिखाई है, इस्लाम तुमको इन्सानियत सिखाता है और इन्सानियत हमेशा की तरह इस्लाम के पास ही है। किसी के पास कुछ नहीं, सबकी झोली ख़ाली है। बातें बना लेना अगल चीज़ है लेकिन अगर उनसे कहा जाये कि दिखाइये तो नहीं दिखा पायेंगे, है ही नहीं तो कहां से दिखायेंगे, सब के सब दिवालिया हैं, कुछ भी नहीं है, लोग चमक दमक से प्रभावित होकर जाते हैं, उनकी चमक—दमक से हमारे लोग भी फ़रेब में आ जाते हैं।"

— हज़रत मौलाना सैय्यद अब्दुल्लाह हसनी नदवी रह0

بسم الله الرحمن الرحيم

मासिक

अरफ़ात किरण

रायबरेली

अंक:५ मई २०१३ ई० वर्ष:५

Dare Arafat Abul Hasan Ali Nadwi Center
دار عرفات مركز الإمام أبي الحسن الندوي

संरक्षक
हज़रत मौलाना सैय्यद
मुहम्मद राबे हसनी नदवी
अध्यक्ष – दारे अरफ़ात

निरीक्षक
मौ० वाज़ेह रशीद हसनी नदवी
जनरल सेकेरेट्री– दारे अरफ़ात

सम्पादकीय मण्डल
बिलाल अब्दुल हयि हसनी नदवी
मुफ़्ती राशिद हुसैन नदवी
अब्दुस्सुबहान नाखुदा नदवी
महमूद हसन हसनी नदवी
मो० हसन नदवी

सह सम्पादक
मो० नफ़ीस ख़ाँ नदवी

प्रति अंक–10रू वार्षिक–100रू०
सम्मानीय सदस्यता–500रू० वार्षिक

www.abulhasanalinadwi.org
FAX-0535-2211386
E-Mail: markazulimam@gmail.com

इस अंक में:

इस्लाम और कुफ़्र की जंग.............................२
मुहम्मद नफ़ीस ख़ाँ नदवी
संयुक्त राष्ट्र में फ़िलिस्तीन की सदस्यता और इस्राईल की बौखलाहट.............................३
मौलाना असरारुल हक़ क़ासमी
नेक औरत – दुनिया की सबसे बड़ी नेमत.............................४
मुफ़्ती रईस अहमद साहब
रजब का महीना – एहकाम व आदाब.............................६
मुफ़्ती मुहम्मद राशिद
गुजरात नरसंहार के ग्यारह वर्ष.............................९
जनाब जसीम मुहम्मद
लहू के ये दाग़.............................११
जस्टिस मार्कन्डे काटजू
शैतान के हथकण्डे.............................१३
अब्दुल अज़ीम जामई
परिवार नियोजन.............................१६
मौलाना ज़फ़र अहमद क़ासमी
मर्द व औरत की नमाज़ में फ़र्क़.............................१८
मौलाना शफ़ी अहमद क़ासमी
हज़रत मौलाना अली मियां की याद में १९
ख़लील फ़रीदी
आपके दीनी सवालात और उनके जवाबात.............................२०

मर्कज़ुल इमाम अबिल हसन अल–नदवी दारे अरफ़ात, तकिया कलां रायबरेली,यू०पी०.229001
मो० हसन नदवी ने एस० ए० आफसेट प्रिन्टर्स, मस्जिद के पीछे, फाटक अब्दुल्ला ख़ाँ, सब्ज़ी मण्डी, स्टेशन रोड रायबरेली से छपवाकर आफिस अरफ़ात किरण,मर्कज़ुल इमाम अबिल हसन अल–नदवी, दारे अरफ़ात, तकिया कलां रायबरेली से प्रकाशित किया।

सम्पादकीय

इस्लाम और कुफ़्र में जंग

मुहम्मद नफ़ीस ख़ाँ नदवी

इस्लाम और कुफ़्र में जंग किसी ख़ून ख़राबे या लड़ाई झगड़े का नाम नहीं है बल्यि ये एक वैचारिक और उसूली जंग है, जो दुनिया की स्थापना के पहले दिन से शुरू है और क़यामत तक जारी रहेगी। इस्लाम शांति का धर्म है, ये अपने विरोधियों की मौत पर खुशी नहीं रंज व अफ़सोस का पाठ पढ़ाता है कि एक इन्सान ईमान से वंचित हमेशा की तबाही व दहकती आग में चला गया। यही दुख आप स0अ0 को भी काफ़िर या मुश्रिक की मौत पर होता था, अर्थात इस्लाम काफ़िर को मारने का पाठ नहीं पढ़ाता बल्कि वो तो प्यार व मुहब्बत से हमेशा की भलाई व कामयाबी की तरफ़ बुलाने का पाठ पढ़ाता है। मानव इतिहास का निरीक्षण किया जाये तो मुसलमानों की ज़िन्दगियों में यही उसूल नज़र आयेगा। उन्होंने ताक़तवर होने के बावजूद भी कभी शांति के प्रयासों को तर्क नहीं किया। लेकिन अगर दूसरी तरफ़ काफ़िरों और मुश्रिकों को देखा जाये तो उनका रवैया हमेशा अत्याचारी व उद्दंड रहा है। हमेशा उन्होंने ज़ुल्म व ज़्यादती, मानवता विरोधी हरकतों और धोखे व फ़रेब का रास्ता अपनाया है और अपनी तमाम कारसतानियों के बाद इल्ज़ाम भी मुसलमानों के सर धरा है। यही स्थिति आज भी है, राष्ट्रीय स्तर पर और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। अतः आज भी किसी अप्रिय घटना के बाद निशाना मुसलमानों को ही बनाया जाता है और अगर कहीं मुसलमान शामिल होते हैं तो ये नहीं देखा जाता कि उनको इस स्थान तक किसने पहुंचाया। बन्दूक़ चलाने वाले हाथ तो नज़र आते हैं लेकिन उन हाथों में बन्दूक़ थमाने वाली ताक़त नज़र नहीं आती। उन्हें आत्मघाती हमले करने वाले, तालिबान व अलक़ायदा वाले तो नज़र आते हैं लेकिन वो कारण नहीं नज़र आते जिनकी बदौलत ये पैदा हुए। किसी देश पर अगर अकारण हमले किये जायें, लाखों के हिसाब से लोगों को मौत की नींद सुला दिया जाये, शादियों को मातम में बदल दिया जाये तो वो मज़लूम और कमज़ोर आत्मघाती हमले नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? और ज़ाहिर सी बात है कि बदले की भावना में इन्सान हद से आगे जाता है लेकिन ऐसे हालात में भी मुसलमानों को संतुलित रहने की शिक्षा दी गयी है।

एक अन्दाज़े के अनुसार पिछले बीस सालों में अमरीका, रूस, इंग्लैण्ड और इस्राईल के हाथों लगभग 36 लाख मुसलमान शहीद हुए। ईराक पर हमले में अमरीका के हाथों लाख से अधिक जान से मारे गये। अफ़ग़ानिस्तान में भी एक अन्दाज़े के मुताबिक़ लाख से ज़्यादा लोग तबाह व बर्बाद हुए। फ़िलिस्तीन में इस्राईली शासन के द्वारा लाख से अधिक मुसलमान शहीद किये गये। चेचेन्या, बोस्निया, हरज़िगोयिना, सर्बिया और क्रूएशिया में भी लाखों में मुसलमान मौत के घाट उतारा गया। इन जनाज़ों के साथ मुसलमानों की इज़्ज़त के जनाज़े भी बड़ी संख्यां में निकले, औरतों की इज़्ज़तों को बड़ी संख्यां में लूटा गया। इन देशों में मुसलमानों के जाएज़ अधिकारों का हनन किया और उनकी आज़ादी छीन ली गयी।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर 9/11 ड्रामा रचा गया है और उसकी आड़ में यूरोप व अमरीका में ख़ास तौर पर मुसलमानों को निशाना बनाया गया। इराक़ में सद्दाम हुसैन के तख़्ते को पलटने और फिर उसको फांसी तक पहुंचाने का खेल खेला गया और उसके द्वारा मुस्लिम देशों के शासकों को भयभीत करने की कोशिश की गयी। मानो अन्तर्राष्ट्री स्तर पर मुसलमानों को बेहैसियत करने और उन पर जीवन तंग करने की कोशिश की गयी ताकि चिराग़–ए–मुस्तफ़ा को गुल करना आसान हो और अगर प्रतिक्रिया के तौर पर मुसलमान हरकत में भी आयें तो वो खुद ही दोषी व आरोपी हों।

हमारे देश में भी आज़ादी के बाद से यही पक्षपाती रवैया बरता गया। बड़ी संख्यां में हिन्दू–मुस्लिम दंगे कराये गये, मुस्लिम नस्ल के ख़ात्मे की शासन की सरपरस्ती में साज़िश रची गयी, फिर उन्हीं के ख़िलाफ़ चार्जशीट दाख़िल की गयी, मुक़दमे चलाये गये और फिर सज़ाएं भी दी गयीं।

सन् 1992 में मुम्बई धमाकों में लिप्त और संदिग्द्ध लोगों के ख़िलाफ़ एक लम्बी मुद्दत के बाद कार्यवाही हुई। अपनी जानकारी में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक क़दम उठाये और इस देश के धर्मनिरपेक्ष होने का सुबूत दिया क्योंकि इस कार्यवाही की ज़द में इक्का दुक्का ग़ैर मुस्लिम भी आये, लेकिन उन बम धमाकों के पीछे के कारण क्या थे उन पर कोई बहस नहीं हुई। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद (जबकि इसका केस न्यायालय में विचाराधीन है) फ़सादों का एक सिलसिला चल पड़ा, लेकिन उसकी कोई खोज नहीं की गयी, बस कुछ बयानों के बाद मामले को ठन्डे बस्ते में डाल दिया गया। ...(शेष पेज 5 पर)

मौलाना असरारुल हक़ क़ासमी

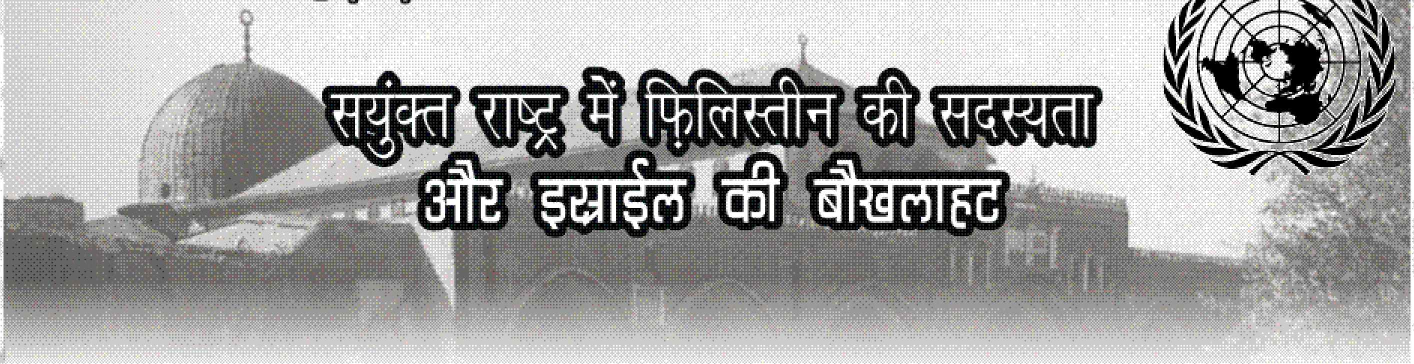

सयुंक्त राष्ट्र में फ़िलिस्तीन की सदस्यता और इस्राईल की बौखलाहट

इस्राईल की बौखलाहट वक़्त के साथ बढ़ती जा रही है और अब वो न केवल फ़िलिस्तीन, सीरिया, ईरान और दूसरे मुस्लिम देशों को आंखे दिखा रहा है, बल्कि पूरी अन्तर्राष्ट्रीय बिरादरी को भी चिढ़ा रहा है। पिछले दिनों फ़िलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का अस्थायी सदस्य बनाने का फ़ैसला किया गया तो इस्राईल बौखला गया और सयुंक्त राष्ट्र की जनरल एसेम्बली में फ़िलिस्तीनी अथारटी का दरजा बढ़ाये जाने के उपाय पर होने वाली वोटिंग का बायकाट करते हुए उसे एक "नकारात्मक राजनीतिक थियेटर" कह डाला। इतना ही नहीं बल्कि सामूहिक रूप से सयुंक्त राष्ट्र के इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ उसने इस प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त की कि फ़िलिस्तीनी धरती पर 3 हज़ार मकानों पर आधारित यहूदी बस्ती के निर्माण की घोषणा कर डाली। इस्राईल ने ये ऐलान डंके की चोट पर किया है। पिछले दिनों सयुंक्त राष्ट्र में इस्राईल ने ये धमकी भी दी थी कि अगर फ़िलिस्तीन को अस्थायी सदस्य का दर्जा दिया गया तो उससे अमन की कोशिशें प्रभावित होंगी। इसलिये अपनी इस धमकी को अमल में लाते हुए उसने जुमा के दिन फ़िलिस्तीनी ज़मीन पर तीन हज़ार यहूदी मकानों के निर्माण की घोषण कर दी जिस पर आलमी बिरादरी ने चिंता प्रकट की और कई देशों ने साफ़–साफ़ उसकी निंदा की और उसे शांति की राह में रोड़ा बताया। इस्राईल शायद ये समझ रहा है कि फ़िलिस्तीन के अस्थायी सदस्य बनने से इस्राईल के लाभ प्रभावित होंगे। संभव है कि इस्राईल ये सोच रहा हो कि एक–दो साल बाद फ़िलिस्तीन को स्थायी सदस्यता प्राप्त हो जाये। इस्राईल की बौखलाहट का एक कारण ये भी है कि वो सयुंक्त राष्ट्र में फ़िलिस्तीन की सदस्यता का विरोध करता रहा है लेकिन इसके बावजूद फ़ैसला उसके ख़िलाफ़ आया और उसे इस कारण मुंह की खानी पड़ी। ये भी संभव है कि इस्राईल ये सोच रहा हो कि अब अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में इस्राईल की पकड़ धीली होती जा रही है। क्योंकि 193 देशों में से 138 देशों ने फ़िलिस्तीन के पक्ष में वोटिंग की। 41 देशों ने अपने वोटों का इस्तेमाल नहीं किया और इस्राईल, अमरीका और कनाडा समेत 9 देशों ने फ़िलिस्तीन के ख़िलाफ़ वोट डाला। मानों की कुछ देशों को छोड़कर सबने इस्राईल की इच्छा के विरुद्ध काम किया। जिन 41 देशों ने अपने वोट का प्रयोग नहीं किया, उन्होंने साफ़ तौर पर ये दिखा दिया कि भले ही उन्होंने फ़िलिस्तीन के हक़ में वोट न दिया हो लेकिन वो इस्राईल के साथ भी नहीं है।

इस्राईल ने फ़िलिस्तीनी धरती पर यहूदी बस्ती बनाने की घोषणा ऐसे समय में की है जबकि इस्राईल और फ़िलिस्तीन के बीच शांति स्थापित करने की कोशिशें की जा रही हैं। इससे साफ़ हो जाता है कि इस्राईल को उस क्षेत्र में शांति स्थापना से कोई सरोकार नहीं है बल्कि वो पूरे क्षेत्र को आतंकित रखना चाहता है जैसा कि उसने पिछले दिनों ग़ाज़ा पर लगातार हमले करके बहुत से फ़िलिस्तीनियों को मौत के मुंह में ढ़केल दिया। फ़िलहाल इस्राईल के इस हिंसक रूप से एक बात और साफ़ होकर सामने आयी है कि इस्राईल अन्तराष्ट्रीय बिरादरी की भी परवाह नहीं करता जबकि बुद्धिजीवियों को इस बात का अन्दाज़ा बहुत पहले से है क्योंकि वो सयुंक्त राष्ट्र की अपीलों को जो शांति की स्थापना के लिये की गयीं, नज़रअन्दाज़ करता रहा है। बहुत बार सयुंक्त राष्ट्र ने इस्राईल की हिंसा पर नकेल की मगर इस्राईल के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। इसका मतलब इसके अलावा और क्या हो सकता है कि इस्राईल सयुंक्त राष्ट्र की इन बातों को नहीं मानता जो इस्राईली योजना के विपरीत होती हैं।

मुफ़्ती रईस अहमद

नेक औरत
दुनिया की सबसे बड़ी नेमत

इस विनाशकारी संसार में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अट्ठारह हज़ार प्राणियों को पैदा फ़रमाकर उसके प्रशिक्षण व परवरिश की सारी व्यवस्था अपने क़ब्ज़े व क़ुदरत में रखी। उन सारे प्राणियों में से सर्वश्रेष्ठ प्राणी मनुष्य को बनाया जिसको रब्बुल आलमीन ने क़ुरआन में यूं बयान फ़रमाया है: "हमने पैदा किया है जिन्नों को और इन्सानों को इबादत के लिये।"

फिर उसकी दो जिन्स हैं जिसको एक दूसरे का लिबास और एक दूसरे के सुकून का कारण, इज़्ज़त व शराफ़त का ज़रिया बनाया, इस कायनात की आबादी में मददगार बनाया व निश्चित किया, एक मर्द और दूसरी औरतें हैं, दोनों का सिलसिला हज़रत आदम अलै0 पर जाकर एक हो जाता है। औरत को अल्लाह तआला ने हज़रत आदम अलै0 की बाईं पसली से पैदा फ़रमाया और पसली की साख़्त और बनावट में क़ुदरती घुमाव रखा है। इस बनाव के टेढ़ेपन को ख़त्म करने के सिलसिले में नबी करीम स0अ0 ने मना फ़रमाया है। इसकी कजी व टेढ़ेपन को बाक़ी रखते हुए उससे फ़ायदा उठाना और उससे लाभान्वित होना मर्द के लिये इज़्ज़त व शराफ़त का कारण है। "दुनिया का सबसे क़ीमती मताअ (चीज़) नेक औरत है।"

उपरोक्त रिवायत में मदनी आक़ा स0अ0 ने साफ़ फ़रमाया कि पूरी दुनिया मताअ है, मताअ किसे कहते हैं, मताअ के माने सामान, चीज़, काम चलाने की चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो ध्यानाकर्षण योग्य हैं जिसको उलमा ने यूं स्पष्ट किया है कि जब कोई बरतन गरम हो जाता है तो बरतन को उठाने के लिये एक कपड़ा इस्तेमाल होता है जिसको हमारे यहां साफ़ी कहते हैं कि इस कपड़े को आवश्यकता पूरी होने के बाद ध्यान देने योग्य नहीं समझा जाता, इसी को मताअ कहते हैं, यानि पूरी दुनिया काम चलाने की जगह है, उसकी हर चीज़ काम चलाऊ है, अब इन काम चलाऊ चीज़ों में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अपने बेहतर उद्देश्यों के कारण नियतों की दुरूस्तगी के कारण से, निस्बतों के श्रेष्ठ होने के कारण, ख़ैर और भलाई को अपने दामन में समेट लेती हैं बल्कि खुद ख़ैर व भलाई का ज़ीना हो जाती हैं।

अब मैं अपनी मां, बहनो और इस्लामी ख़्वातीन से इस रिवायत के अन्तर्गत कहना चाहता हूं कि वो ज़रा इधर–उधर निगाह न करके अपने गिरेबान में झांककर ग़ौर करें और देखें कि क्या हम भी नेक औरतें, सालेह औरतें, ख़ैर वाली औरतों में से हैं? अगर नहीं तो अपने दिल से सवाल करें और पूछें कि क्या तुम नेक बनना चाहती हो? हज़रत ख़दीजा व आयशा रज़ि0 की सच्ची वारिस बनना चाहती हो, या नेक बनने में दीन व दुनिया का कोई नुक़सान दिखाई देता है? या ग़ैर सालेह बनकर हम अपने लिये, अपने घरवालों के लिये, अपने पति व अपनी औलाद के लिये और सबसे बढ़कर अल्लाह और उसके रसूल के लिये तकलीफ़ का ज़रिया बनकर किस को खुश कर लेंगे? हरगिज़ नहीं! हरगिज़ नहीं! अल्लाह रब्बुल आलमीन क़ुरआन करीम में इरशाद फ़रमाते हैं, "जो शख़्स नेक अमल करेगा मर्द हो या औरत मोमिन हो तो हम उसकी दुनिया की ज़िन्दगी को पाकीज़ा बना देंगे।" मालूम हुआ कि इस दुनिया की पाकीज़गी, उसका सुकून जब ही मुकम्मल और कामिल हो सकता है जब मर्द और औरत नेक आमाल करें और जो नेक आमाल करता है उसको अल्लाह तआला सुकून व इत्मिनान नसीब फ़रमाते हैं और जो अल्लाह की याद से उसकी इताअत से बचता है उसकी ज़िन्दगी तंग कर देते हैं, परेशानियों में घेर देते हैं।

इसलिये मैं अपनी मांओं और बहनों से अपील करता हूं कि नेक आमाल से जुड़कर अल्लाह की फ़रमाबरदारी वाले काम करके अपने बड़ों–शौहरों की इताअत करके दीन व दुनिया बनाने की कोशिश करें और दुनिया के बहाव, फ़ैशनपरस्ती, बेपर्दगी, आवाज़ बुलन्द करना, शौहरों की नाफ़रमानी करना, सास का बहू और बहू का सास से बात–बात पर लड़ना, नाशुक्री करना, ताना देना, सब्र के बजाये बेसब्री दिखाना, ये सारे काम कभी आपको नेक नहीं बनने देंगे बल्कि इन कामों से अल्लाह और

उसके रसूल की नाराज़गी मिलती है और अल्लाह और उसके रसूल की नाराज़गी के बाद चैन व सुकून तलाश करना बेवक़ूफ़ी है।

एक मुसलमान औरत के लिये आइडियल और नमूना अज़वाज–ए–मुत्तहरात, सहाबियात व ताबियात, नेक और सालेह और तक़वा और तहारत वाली औरतें होना चाहिये न कि नाचने–गाने वाली, गाने–बजाने वाली, बेपर्दगी और अश्लीलता में पड़ी रहने वाली, यूरोप व अमरीका के समाज से प्रभावित औरतें हों। अल्लाह ने औरतों को बड़े मक़ामात से नवाज़ा है, मर्दों से औरतों के सिलसिले में क़ुरआन करीम में सिफ़ारिश की है: "उन औरतों के साथ रहो, अच्छे तरीक़े से" कहकर औरतों का सर ऊंचा किया है काश हमारी औरतें भी अर्श व कुरसी के मालिक को पहचान कर अपनी ज़िन्दगी उनकी ख़ुशी के लिये गुज़ारने का फ़ैसला करतीं और अपने किसी भी मामले में शरीअत से सुलह न करतीं तो शायद उन्हें जन्नत का मज़ा इसी दुनिया में महसूस होता, उनकी बेचैनियां, बेक़रारियां दूर होती और उन्हें चैन व सुकून मिलता। नमाज़ की पाबन्दी, सुन्नतों का एहतिमाम, तिलावत व ज़िक्र का लुत्फ़ पाकर दुनिया के ऐश व आराम को भूल जायें, अल्लाह हमारी माओं–बहनों को 'नेक औरत' बनाकर अपनी मुहब्बत व मारिफ़त का लुत्फ़ इसको दुनिया में अता फ़रमा दे और इसको फिर ख़दीजा और आयशा, उम्मे सलमा व उम्मे हबीबा रज़ि0 की ज़िन्दगी महबूब बना दे, आज की अदाकाराओं से नफ़रत पैदा फ़रमा दे। औरतों के लिये सबसे बड़ी ख़राबी दीन से दूरी और बेकारी है, अगर ये दीन से जुड़ जाये तो ख़ुद ठीक होकर घर के पूरे माहौल को ठीक कर सकती हैं। अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र के लिये कोई ख़ास वक़्त नहीं, जब चाहें अपने व्यस्त जीवन में आसानी से तिलावत ओर ज़िक्र कर सकती हैं, जैसे पहला कलिमा चलते–फिरते, तीसरा कलिमा आटा गूधंते वक़्त, खाना पकाते वक़्त क़ुल वल्लाहु शरीफ़, दरूद शरीफ़, सुब्हानल्लाहि और अस्तग़फ़ार। टोना व जादू व ख़बीस जिन्न के शर से बचने के लिये क़ुल आउज़ बि रब्बिल फ़लक़, क़ुल आउज़ बि रब्बिन्नास का विर्द करती रहें और दीनी किताब का अध्ययन जैसे बेहश्ती ज़ेवर, और दीन की बातें और फ़ैज़ान अशरफ़ का अध्ययन करें, इन्शाअल्लाह दीन का माहौल बन जायेगा, अल्लाह तआला इन चीज़ों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाये। (आमीन)

शेष : इस्लाम और कुफ़्र में जंग

2002ई0 में मुस्लिम नस्ल के ख़ात्मे की ख़तरनाक कोशिश की गयी, गोधरा के ड्रामे को अमली जामा पहनाया गया। रोंगटे खड़ी कर देने वाली घटनांए घटीं। इन्सानों ने जानवरों को भी मात दे दी। हैवानियत व बरबरियत के दृष्य देखकर पूरा देश सहम गया और ये सब कुछ प्रशासन की निगरानी में हुआ, मीडिया ने पूरा कवरेज भी किया लेकिन क्या मजाल कि किसी ने नोटिस भी किया हो बल्कि अब तो दूसरे राज्यों में भी इस ख़तरे का साइरन बजने लगा है।

एक ओर इस प्रकार की संगीन स्थिति है लेकिन दूसरी ओर मुसलमानों ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा, उनको अभी भी इन्साफ़ की उम्मीद है, लेकिन मामला उस वक़्त का है जब इन्साफ़ की ये उम्मीद भी ख़त्म हो जायेगी जब मानवता को मानव ही से बचना कठिन हो जायेगा तो केवल मुसलमान की ही ज़िम्मेदारी होगी कि इन्सानियत के इस नासूर का आपरेशन करें।

मुसलमानों ने हमेशा शांति की स्थापना की कोशिश की है, लेकिन जब कभी तागूती ताक़तें उन पर चढ़ दौड़ीं हैं, और उन्होंने उनकी इज़्ज़त व सम्मान और उनके ईमान व मज़हब को निशाना बनाया तो मुसलमान उनके मुक़ाबले के लिये पहाड़ की तरह जम गये हैं, उन्होंने सरों को भी कुचला, तख़्तों को भी पलटा, देश में भौगोलीय बदलाव कर दिये और उनकी ईमानी ताक़त ने वो कारनामे अन्जाम दिये कि आज तक इतिहास को भी गर्व है।

आज पूरी दुनिया में और ख़ासकर अमरीकी देशों में मुसलमानों के ख़िलाफ़ जिस प्रकार का पक्षपाती रवैया अपनाया जा रहा है, उनके दीन व धर्म को मज़ाक़ बनाया जा रहा है, उनकी शरीअत में दख़ल देने की कोशिश की जा रही है, इसमें अगर बदलाव न किया गया और ये सिलसिला यूं ही चलता रहा तो वो वक़्त ज़्यादा दूर नहीं जब यही हालात मुसलमानों की एकता को दृढ़ करेंगे, इन दंगों ने मुसलमानों को बहुत कुछ जागरुक किया है। उनका इतिहास गवाह है कि जब ये किसी मामले पर जम गये तो जानवरों ने जंगल ख़ाली कर दिये, समन्दरों ने रास्ते छोड़ दिये। लिहाज़ा अक़्लमन्दी इसी में है कि इतिहास को उल्टा सफ़र करने पर मजबूर न किया जाये, मुसलमानों का इतिहास एक सोते हुए शेर की तरह है, छेड़ख़ानी मानो अपने पैर पर कुल्हाड़ी।

मुफ़्ती मुहम्मद राशिद

रजब का महीना
एहकाम व आदाब

रजब का महीनाः साल के बारह महीनों में एक ख़ास महीना "रजबुल मुरज्जब" भी है। इस महीने की सबसे पहली ख़ासियत इस महीने का "अशहुर–ए–हुरुम" होना है। (बुख़ारीः 3197) हज़रत शाह वली उल्लाह मुहद्दिस देहलवी रह0 फ़रमाते हैं कि, "मिल्लते इब्राहीमी में ये चार महीने अदब व एहतिराम के थे, अल्लाह तआला ने उनके एहतराम को बरक़रार रखा और मुश्रिकीने अरब ने इसमें जो बदलाव किये थे उसकी काट कर दी।"

रजब की पहली रातः हज़रत अनस रज़ि0 फ़रमाते हैं कि जब नबी–ए–अकरम स0अ0 रजब के महीने का चांद देखते तो ये दुआ फ़रमाया करते थेः "ऐ अल्लाह! हमारे लिये रजब और शाबान के महीनो में बरकत अता फ़रमा और हमें रमज़ान के महीने तक पहुंचा दे।" (मिश्कातः 1369) मुल्ला अली क़ारी रह0 इस हदीस की तशरीह में फ़रमाते हैं: "यानि इस महीने में हमारी ताअत व इबादत में बरकत अता फ़रमा और हमारी उम्र दराज़ कर के रमज़ान तक पहुंचा; ताकि रमज़ान के आमाल, रोज़ा और तरावीह वग़ैरह की सआदत हासिल करें।" माह–ए–रजब के चांद को देखकर नबी करीम स0अ0 दुआ फ़रमाते थे; इसी के साथ कुछ रिवायतों में इस रात में दुआ की क़ुबूलियत का भी पता चलता है, जैसा कि 'मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़्ज़ाक़' में हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि0 का एक असर नक़्ल किया गया है कि उन्होंने फ़रमायाः पांच रातें ऐसी हैं जिनमें दुआ नहीं रद्द की जाती, वो जुमा की रात, रजब की पहली रात, शाबान की पन्द्रहवीं रात, ईदुल फ़ित्र की रात और ईदुल अज़्हा की रात।

माह–ए–रजब में रोज़ेः रजब में रोज़े रखने के संबंध में अलग से कोई फ़ज़ीलत मनकूल नहीं है। हाफ़िज़ इब्ने हिजर ने एक किताब "तम्बीहुल अजली बिमा वरदा फ़ी फ़ज़ली रजब" लिखी, जिसमें उन्होंने बहुत सी उन हदीसों को एकत्र करके उनकी सनदी हैसियत को ज़ाहिर किया जो रजब की फ़ज़ीलत से संबंधित बहुत ही ज़ईफ़ या मौज़ू (मनगढ़ंत) थीं। आपने फ़रमायाः रजब के महीने में ख़ास रजब की वजह से किसी रोज़े की मख़सूस फ़ज़ीलत सही हदीसों से साबित नहीं है। अल्बत्ता रोज़ा ख़ुद एक नेक अमल है और फिर रजब का "अशहुरे हुरुम" में से होना, तो ये दोनों मिलकर आम दिनों से ज़्यादा अज्र व सवाब का कारण बन जाते हैं। लिहाज़ा इस महीने में किसी भी दिन किसी ख़ास तय सवाब के अक़ीदे के बग़ैर रोज़ा रखना यक़ीनन मुस्तहब और हुसूल–ए–ख़ैर का ज़रिया होगा। हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ़ अली थानवी रह0 ने एक सवाल के जवाब में इरशाद फ़रमाया किः दूसरी हैसियत रजब में सिर्फ़ "शहर–ए–हराम" होने की है जो इस रजब में और बक़िया अशहुरे हुरुम में मुश्तरक़ है। पहली हैसियत को नज़रअन्दाज़ करना इस दूसरी हैसियत से उसमें रोज़ा रखने को और उसके बारे में अजीब व ग़रीब फ़ज़ाइल बयान करने की मिसाल 27/रजब का रोज़ा है, जो आम लोगों में "हज़ारी रोज़ा" के नाम से मशहूर है।

माह–ए–रजब की बिदआतः इस्लाम से पहले ही माह–ए–रजब में बहुत सी रस्में और मुनकिरात रायज थीं, जिनको इस्लाम ने एक सिरे से ख़त्म करके रख दिया, उनमें से एक रजब के महीने में क़ुर्बानी का एहतिमाम है, जिसको क़ुरआन पाक की इस्तेलाह में "अतीरा" के नाम से स्पष्ट किया गया है। इसी महीने में ज़कात की अदायगी और मौजूदा ज़माने में उनके अलावा बीबी फ़ातिमा रज़ि0 की कहानी, 22 रजब के कून्डे की रस्म, 27 रजब से संबंधित मुनकिरात और हज़ारी रोज़े के संबंध से कुछ अर्ज़ किया जायेगा।

सत्ताइसवीं रजब/शब–ए–मेराजः रजब की सत्ताइसवीं शब में मौजूदा ज़माने में तरह–तरह की

ख़ुराफ़ातें पायी जाती हैं, इस रात हलवा पकाना, रंगीन झन्डियां, आतिशबाज़ी और मिट्टी के चिराग़ों को जलाकर घरों की दीवारों पर रखना इत्यादि जिनका शरई हुक्म ये है कि अगर उनको इबादत और सवाब समझ कर किया जाता है तो ये बिदअत कहलायेगीं; क्योंकि न तो इन सब कामों को हमारे नबी करीम स0अ0 ने स्वयं किया, न उनके करने का हुक्म दिया और न आप स0अ0 के सहाबा ने किया और न ही करने का हुक्म दिया और अगर इन कामों को इबादत समझकर नहीं किया जाता बल्कि रस्म के तौर पर किया जाता है तो उनमें फ़िज़ूल ख़र्ची, और आतिशबाज़ी से जानी नुक़सान का ख़तरा है। ये सब काम शरई तौर से हराम हैं। इन सभी कामों को इस बुनियाद पर किया जाता है कि 27वीं रजब में नबी–ए–करीम स0अ0 को मेराज का सफ़र करवाया गया। लोगों के इस रात इस एहतिमाम से पता चलता है कि रजब की सत्ताइसवीं शब को ही मेराज का सफ़र करवाया गया। हालांकि आप स0अ0 को मेराज का सफ़र कब करवाया गया? उसके बारे में तारीख़, महीने बल्कि साल में भी बहुत ज़्यादा इख़्तिलाफ़ पाया जाता है, जिसकी बिना पर सत्ताइसवीं शब को ही शब–ए–मेराज क़रार देना ग़लत है; जबकि मशहूर क़ौल यही है। दूसरी बात! शब–ए–मेराज जिस रात या महीने में भी हुआ हो, उस रात में किसी क़िस्म की भी निश्चित इबादत शरीअत में नहीं आयी है। ये अलग बात है कि उस रात में सरकार–ए–दो आलम हज़रत मुहम्मद स0अ0 को बहुत बड़ा शर्फ़ बख़्शा गया, आपके साथ बड़े ऐज़ाज़ व इकराम वाला मामला किया गया और आप स0अ0 को आसमानों पर बुलवा के बहुत से हदिये दिये गये; लेकिन उम्मत के लिये इस बारे में किसी क़िस्म की कोई फ़ज़ीलत वाली बात किसी ने नक़ल नहीं की।

शबे मेराज अफ़ज़ल है या शबे क़द्र: अल्लामा इब्ने तैमिया रह0 से पूछा गया कि इन दोनों रातों (शबे कद्र और शबे मेराज) में कौन सी रात अफ़ज़ल है? तो उन्होंने जवाब दिया कि नबी करीम स0अ0 के हक़ में "शब–ए–मेराज" अफ़ज़ल है और उम्मत के हक़ में "शब–ए–क़द्र" अफ़ज़ल है। इसलिये कि इस रात में जिन इनामों को नबी करीम स0अ0 को दिया गया वो उन ईनाम से कहीं बढ़कर हैं जो आपको शब–ए–क़द्र में नसीब हुए और उम्मत को जो ईनाम शब–ए–क़द्र में नसीब हुए वो उससे बढ़कर हैं जो उम्मत को शब–ए–मेराज में हासिल हुए जबकि उम्मतियों के लिये शब–ए–मेराज में भी बहुत बड़ा ऐज़ाज़ है, लेकिन अस्ल फ़ज़ल, शर्फ़ और आला मरतबा उस हस्ती के लिये है जिसको मेराज करवायी गयी, स0अ0।

अल्लामा इब्ने क़ैय्यिम अलजौज़ी रह0 ने भी इस क़िस्म का एक लम्बा सवाल व जवाब इब्ने तैमिया रह0 का नक़ल किया है और उसके बाद लिखा है कि उस जैसे कामों की बात करने के लिये हक़ीकतों की ज़रूरत होती है और उनका इल्म "वही के बग़ैर मुमकिन नहीं" और इस मामले में किसी निश्चितता के बारे में वही ख़ामोश है। लिहाज़ा बग़ैर इल्म इस बारे में कुछ कहना जायज़ नहीं है। चुनान्चा जब इतनी बात तय हो गयी कि उम्मत के हक़ में शब–ए–मेराज की कोई फ़ज़ीलत ख़ास नहीं है। इस रात का 27 रजब को होना भी साबित नहीं है तो इस रात को या उसके दिन को किसी इबादत के लिये अलग से तय करना किसी तरह ठीक नहीं है।

बिदआत की पहचान का स्तर: तफ़सीर इब्न–ए–कसीर में लिखा है कि "अहले सुन्नत वल जमाअत ये फ़रमाते हैं कि जो काम हज़रात सहाबा से साबित न हो तो उसका करना बिदअत है; क्योंकि अगर वो अच्छा काम होता तो ज़रूर हज़रात सहाबा रज़ि0 हमसे पहले उस काम को करते; इसलिये कि उन्होंने किसी नेक और उम्दा ख़िसलत को बिना अमल किये नहीं छोड़ा; बल्कि वो हर नेक काम में सबक़त ले गये।"

हज़ारी रोज़ा: लोगों में ये मशहूर है कि 27 रजब के रोज़े की बड़ी फ़ज़ीलत है; यहां तक कि इस बारे में ये मशहूर है कि उस एक दिन के रोज़े का सवाब हज़ार रोज़े के सवाब के बराबर है, जिसके कारण इसे 'हज़ारी रोज़ा' के नाम से जाना जाता है। हालांकि शरीअत में इस रोज़े की उपरोक्त फ़ज़ीलत सही रिवायत से साबित नहीं है। इस बारे में अक्सर रिवायत मनगढ़ंत हैं और कुछ रिवायत जो मनगढ़ंत तो नहीं लेकिन बहुत ही ज़ईफ़ हैं, जिसकी बिना पर इस दिन के रोज़े के सुन्नत होने के एतक़ाद या उस दिन के रोज़े पर ज़्यादा सवाब मिलने के एतक़ाद पर रोज़ा रखना जायज़ नहीं। इस बारे में अकाबिरीन उलमाए उम्मत ने उम्मत के ईमान व आमाल की हिफ़ाज़त की ख़ातिर रहनुमाई करते हुए फ़तवे दिये हैं, जो नीचे प्रस्तुत किये जा रहे हैं:

हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रह0 रजब के महीने में होने वाली "रस्मे तबारक और रजब के महीने में होने वाले हज़ारी रोज़े" की काट करते हुए लिखते हैं: "इन दोनों काम को लाज़िम करना ग़लत और बिदअत है और उनके नाजाएज़ होने की वजह किताब इस्लाहुर्रसूम, बराहीने क़ातिआ और अरीजा में दर्ज हैं" (फ़तावा रशीदिया: 148)

हज़रत मौलाना मुफ़्ती महमूद हसन गंगोही रह0 एक सवाल के जवाब में फ़रमाते हैं: "रजब के महीने में उपरोक्त तारीख़ में रोज़े रखने की फ़ज़ीलत पर कई रिवायतें बहुत ज़ईफ़ और मौज़ूअ (मनगढंत) हैं।" (फ़तावा महमूदिया: 3/281)

एक और सवाल के जवाब में लिखते हैं कि: "लोगों में 27 रजब के संबंध से बहुत बड़ी फ़ज़ीलत मशहूर हैं; मगर वो ग़लत हैं; इस फ़ज़ीलत का विश्वास भी ग़लत है, इस नियत से रोज़ा रखना भी ग़लत है 'मासबता बिस्सुन्ना' में इसकी तफ़सील मौजूद हैं।" (फ़तावा महमूदिया: 10/202)

हज़रत मौलाना मुफ़्ती अज़ीज़ुर्रहमान लिखते हैं: "27 रजब के रोज़े को जिसे लोग 'हज़ारी रोज़ा' कहते हैं और हज़ार रोज़े के बराबर का सवाब समझते हैं, उसकी कुछ अस्ल नहीं है" (फ़तावा दारुलउलूम देवबन्द: 406/6)

हज़रत मौलाना सैय्यद अब्दुर्रहीम साहब लाजपुरी रह0 लिखते हैं: "सत्ताइसवीं रजब के रोज़े के बारे में रिवायत आयीं हैं वो मनगढ़ंत और ज़ईफ़ हैं, सही और विश्वस्नीय नहीं: लिहाज़ा सत्ताइसवीं रजब का रोज़ा आशूरा की तरह सुन्नत समझकर हज़ार रोज़ा रखने का सवाब मिलेगा, इस विश्वास से रखना मना है" (फ़तावा रहीमिया: 274/7)

हज़रत मौलाना अशरफ़ अली थानवी रह0 रजब के रोज़े के बारे में लिखते हैं "इसको आम लोग 'मरियम रोज़ा का चांद' कहते हैं और इसकी सत्ताइसवीं तारीख़ में रोज़ा रखने को अच्छा समझते हैं कि एक हज़ार रोज़ों का सवाब मिलता है, शरीअत में इसकी कोई मज़बूत अस्ल नहीं; अगर नफ़िल रोज़ा रखने को दिल चाहे तो अख़्तियार है, ख़ुदा तआला जितना चाहें सवाब दे दें अपनी तरफ़ से हज़ार या लाख़ तय न समझें, कई जगह इसी में तबारक की रोटियां पकती हैं, ये भी गढ़ी हुई बात है, शरीअत में इसका कोई हुक्म नहीं है न इस पर कोई सवाब का वादा है, इस वास्ते ऐसे काम को दीन की बात समझना गुनाह है।।" (बेहश्ती ज़ेवर: 60/6)

हज़रत मौलाना ज़व्वार हुसैन शाह रह0 लिखते हैं "हज़ारी रोज़ा यानि 27 रजब का रोज़ा, लोगों में इसका बहुत सवाब मशहूर है, बहुत सी मनगढ़ंत हदीसों में इसकी फ़ज़ीलत आयी है, लेकिन सही हदीसों और फ़िक़ की विश्वस्नीय किताबों में उसकी कोई अस्ल नहीं है, बल्कि कुछ रिवायतों में इसकी मोमानियत आयी है, बस इसको ज़रूरी और वाजिब की तरह समझ कर रोज़ा रखना या हज़ार रोज़ा के बराबर सवाब समझकर रखना बिदअत व मना है।"

सारांश: उप्रोक्त व्याख्याओं से सत्ताइस रजब के रोज़े का बिना सनद व बेबुनियाद मशहूर हो जाने वाली फ़ज़ीलत की हक़ीक़त अच्छी तरह साफ़ हो जाती है कि उस दिन को ख़ास फ़ज़ीलत वाला दिन समझकर या ख़ास अक़ीदत के साथ मख़सूस सवाब के विश्वास से रोज़े रखना जायज़ नहीं है। जिससे बचना ज़रूरी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फ़ज़ल व करम से सही तरीक़े से अपने हुक्मों पर अमल करने की और उनको दूसरों तक पहुंचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाये।

विशेष सूचना

अरफ़ात किरण का अगला अंक
रमज़ानुल मुबारक
पर आधारित तीन महीनों
(जून – अगस्त)
का विशेष अंक होगा।

इस विशेष अंक में
अपने विज्ञापन देकर
अपने व्यापार को बढ़ावा दें।

सम्पर्क करें:
9918818558

जसीम मुहम्मद

गुजरात नरसंहार के ग्यारह वर्ष

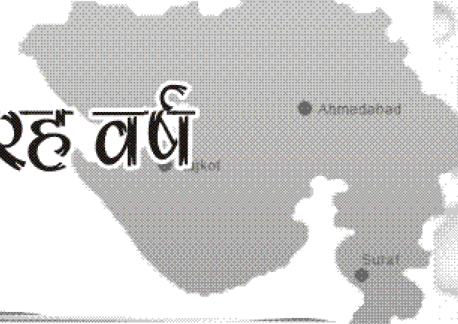

28 फ़रवरी को गुजरात के नरसंहार की ग्यारहवीं बरसी है। ये सही समय है जब हम उन वास्तविकताओं का निरीक्षण करें जिनके कारण 2002 में देश का सर शर्म से झुक गया था। लगभग ग्यारह बरस पहले हुए गुजरात दंगों में बेघर हुए लोगों की परेशानियां अभी समाप्त नहीं हुई हैं। कुछ दिनों पहले "राष्ट्रीय अल्पसंख्यक कमीशन" ने गुजरात राज्य के छियालिस में से सत्तरह राहत कैम्पों का दौरा करने के बाद बताया कि पांच हज़ार से अधिक परिवार अमानवीय जीवन जीने पर मजबूर हैं, उन शरणार्थियों के लिये ऐसा माहौल नहीं बन पा रहा है कि वो अपने घर लौटने के बारे में सोच सकें। उन कैम्पों में ऐसे लोग भी हैं जो न्यायालय में दंगें संबंधी गवाह भी हैं और भय के कारण वो अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहते। उन कैम्पों में अधिकता उनकी है जो अर्धसरकारी है, जिनके मद्देनज़र केवल मानवता की सेवा और उसका कल्याण है। राज्य सरकार ने उन शरणार्थियों के लिये कुछ भी करने से साफ़ तौर पर इनकार करते हुए कहा कि ये लोग अपनी मर्ज़ी से यहां रह रहे हैं लेकिन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में इसे सरकार का ग़ैरज़िम्मेदाराना रवैया क़रार दिया है। आख़िर ऐसा कौन सा परिवार होगा जो अपना घर छोड़कर इतनी ज़िल्लत और परेशानी भरी ज़िन्दगी गुज़ारने पर खुशी से तैयार होगा? वो कौन सा परिवार होगा जो ऐसी जगह रहना पसंद करेगा जहां पीने को साफ़ पानी नहीं, सड़क, बिजली, अस्पताल और स्कूल जैसी बुनियादे सहूलतें उपलब्ध न हों। राहत कैम्पों में रह रहे लोगों को राशन कार्ड तक नहीं दिया गया है कि वो लोग रिआयती दामों पर अनाज इत्यादि प्राप्त कर सकें। जबकि मिट्टी का तेल उनके लिये दूर की कौड़ी है, जिसके कारण उनका जीवन केवल मज़दूरी के सहारे व्यतीत हो रहा है, वो भी कब तक?

हज़ारों लोगों की जाने गयीं क्यों? एक नज़र 2002 के हालात पर डालें तो पता चलेगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कहा "मुसलमानों का समझ लेना चाहिये कि अल्पसंख्यक की रक्षा बहुसंख्यक के साथ भाईचारगी में निहित है।" उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 20 अप्रैल 2002ई0 को "गोवा" में कहा कि अगर गुजरात में साबरमती एक्सप्रेस के निर्दोष यात्रियों को ज़िन्दा जलाने की साज़िश न रची गयी होती तो बाद के दिनो में हुए दंगों को रोका जा सकता था। प्रतिनिधी कमेटी ने कहा कि हमें नहीं भूलना चाहिये कि गुजरात वेदना कहां से शुरू हुई? और इसके बाद की घटना तो निन्दनीय है लेकिन आग लगायी किसने? उप्रोक्त दोनों बयान गुजरात में सरकारी शै पर हुए मुसलमानों के नरसंहार की साज़िश में 5000 से ज़्यादा लोगों की मौतों के बाद के हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार कमीशन के जस्टिस वर्मा ने 23 मार्च 2002ई0 को गुजरात दौरे से लौटने के बाद दिल्ली की एक प्रेस कान्फ्रेंस में कहा कि दंगों से प्रभावित क्षेत्रों में जो कुछ भी मैने देखा या सुना है, उस सदमे से उभरने में मुझे अभी दो दिन और लगेंगे, औरतों ने जो मुझे बताया वो इतना भयानक और अमानवीय है कि उसको मैं यहां बयान नहीं कर सकता। उस समय "अल्पसंख्यक कमीशन" ने उस दंगे की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज से कराने और 293 दरगाहों और 202 मस्जिदों को सरकार के द्वारा दोबारा निर्माण कराने की सिफ़ारिश की थी जो उन दंगों का शिकार हो गयीं थीं लेकिन वहां आजतक भी एक ईंट नहीं रखी गयी है। इस फ़ाशिस्ट राज्य की पुलिस के बारे में गुजरात के एक IASI होशमन्द अफ़सर 13 मार्च 2002 को कहते हैं

कि पुलिस के द्वारा लोगों को फ़सादियों की भीड़ के हवाले कर दिया गया, पुलिस ने सीधे मुसलमानों पर गोलियां बरसाईं जो पहले ही से फ़सादियों के निशाने पर थे। गुजरात पुलिस के हाथ सैंकड़ों मासूमों के ख़ून से रंगे हुए हैं जबकि नौकरशाहों ने भी एक साज़िशी ख़ामोशी साध कर अपने हाथ उन बेगुनाहों के खून में डुबो लिये हैं। कांग्रेस के पूर्व एम.पी. "इक़बाल एहसान जाफ़री" जिनको गुलबर्ग सोसाइटी में अपने चालीस परिवार वालों और रिश्तेदारों के साथ 1 मार्च 2002 को ज़िन्दा जला दिया गया था। उनकी बीवी "ज़किया नसीम जाफ़री" कहती हैं कि हादसे से पहले फ़सादियों की भीड़ बढ़ती देखकर एहसान जाफ़री ने पुलिस कन्ट्रोल रूम, उच्च्व अधिकारियों, राज्य के कांग्रेसी नेताओं, यहां तक कि अमर सिंह, सोनिया गांधी तक को फ़ोन किया कि उनकी जान बचायी जाये मगर उनको तो मरना था, उनकी ज़िन्दगी को कोई बचा नहीं पाया।

जस्टिस ए. पी. ख़ान ने 21 मार्च 2002 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को दिये अपने बयान में कहा कि गुजरात हाईकोर्ट के वर्तमान जस्टिस एम. एच. क़ादरी और उनके परिवार की सुरक्षा को लेकर चीफ़ जस्टिस मेहता ने कहा कि "भाइयों ज़मीनी सच्चाई तो ये है कि अब क़ानून तो सिर्फ़ किताबों में बचा है, हम भावुक हो सकते है लेकिन हम सरहद पर लड़ रहे जवान हैं, जहां एक इन्च भी पीछे हटना बुज़दिली में गिना जाता है, आप जिस हालत में हैं उसमें किसी सुरक्षित स्थान पर न जाना बेवकूफ़ी होगी।"

इस सच्चाई की रोशनी में हम जान सकते हैं कि धर्म के नाम पर फ़ाशिस्ट और पक्षपाती पार्टियों ने आपसी भाईचारे को कहां पहुंचा दिया। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अनुसार इस दंगे में एक हज़ार से अधिक लोगों के परिवार और विभिन्न प्रकार से प्रभावित लोगों के लिये केन्द्रीय सरकार ने लगभग उन्नीस करोड़ रुपये दिये थे, जिसको गुजरात सरकार ने बिना ख़र्च किये वापिस कर दिया। वास्तव में दंगों में मोदी सरकार का जो रोल था उसको देखते हुए ये कोई हैरत की बात नहीं है। लेकिन एक लोकतान्त्रिक गणराज्य में किसी भी सरकार की ये ज़िम्मेदारी होती है कि वो जनता की रक्षा और शांति व्यवस्था को बनाये रखे। अगर गुजरात में ऐसा नहीं हो पा रहा है तो यक़ीनन ये सरकार व प्रशासन दोनों का क़ानून की खुली बेइज़्ज़ती करना और उसको पैरों तले रौंदना है और ऐसा करना ये भी स्पष्ट करता है कि अब यहां क़ानून की कोई अहमियत नहीं रही है, जबकि इसका ख़ामियाज़ा दंगा पीड़ितों व उनके परिवार को ही भुगतना पड़ रहा है।

ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इन दंगों की तकलीफ़ों का हवाला देकर देश विरोधी ताक़तें उनका इस्तेमाल अपने लाभ के लिये कर सकती हैं। शायद इसी कारण से अल्पसंख्यक आयोग ने दाख़िली रूप से दोबारा बसाये जाने वालों के लिये सयुंक्त राष्ट्र के प्रवक्ता के अनुसार एक क़ौमी पालिसी बनाये जाने पर ज़ोर दिया है जिनसे उनकी परेशानियां दूर हो सकें। अगर इस प्रकार की कोई शुरूआत होती है तो लाज़िमी तौर पर बेघर कश्मीरी पन्डितों को भी इसका लाभ मिलेगा, इसके अलावा आयोग ने गुजरात दंगों के शिकार लोगों की ख़ातिर 1984ई0 में सिक्ख विरोधी दंगो के प्रभावितों के लिये बनाये गये कुछ आबादकारी और मुआवज़ा पैकेज की तरह एक सफल योजना बनाने की वकालत की है, लेकिन मोदी सरकार के रवैये को देखते हुए ये नहीं लगता कि वो इस आयोग की ताज़ा रिपोर्ट के बाद दंगों में मारे गये लोगों के परिवार वालों के लिये कोई सकारात्मक क़दम उठायेगी। इस मामले में केन्द्र सरकार को कोई ठोस क़दम उठाना होगा जो अभी तक UPA के शासनकाल में नहीं हुआ है।

भारतीय राजनीति को पहले पक्षपाती और अब साम्प्रदायिक ताक़तें मुक़ाबले की दावत दे रही हैं। ये भारतीय समाज को बांटना चाहती हैं। अब ये किसी एक क्षेत्र या एक शहर तक सीमित नहीं बल्कि बहुत तेज़ी से पूरे देश को अपने ज़हरीले फन से ये नाग डसता जा रहा है। हमें साबरमती एक्सप्रेस में 58 लोगों की मौत पर बहुत तकलीफ़ और अफ़सोस है और बाद में पांच हज़ार से ज़्यादा मासूम व निर्दोषों का नरसंहार भारत के चेहरे पर बदनुमा दाग़ और काला धब्बा है, जो हमेशा धर्मनिरपेक्ष भारतीयों को काटता रहेगा।

लहू के दाग़

जस्टिस मार्कन्डे काटजू

नरेन्द्र मोदी को भारत का एक बड़ा वर्ग इस प्रकार प्रस्तुत कर रहा है जैसे वो एक नये मूसा हों, जो कि मजबूर और निदोर्ष बहुत ही मायूस भारतीय जनता को दूध और शहद की धरती पर ले जायेंगे। नरेन्द्र मोदी के संबंध से ये बताया जा रहा है कि भारत के आगामी प्रधानमंत्री पद के लिये वो श्रेष्ठ व्यक्ति व विकल्प हैं। केवल भारतीय जनता पार्टी और RSS ही नहीं जो कुम्भ मेले में ये बात कहते रहे हैं बल्कि भातरीयों का एक बड़ा वर्ग "विख्यात" पढ़ा–लिखा वर्ग जिसमें हमारी शिक्षित युवा पीढ़ी भी जो कि नरेन्द्र मोदी के प्रोपगन्डों से अत्यधिक प्रभावित हुए हैं वो भी यही बात कह रहे हैं।

हाल ही में दिल्ली से भोपाल विमान द्वारा यात्रा कर रहा था। मेरे बग़ल में एक गुजराती व्यापारी बैठे हुए थे। मैंने नरेन्द्र मोदी के बारे में उनकी राय पूछी तो वो नरेन्द्र मोदी की तारीफ़ों के पुल बांधने लगे, मैंने उनकी बात काटते हुए गुजरात 2002ई0 में हुए 2000 मुसलमानों के क़त्ल–ए–आम के बारे में पूछा, गुजराती व्यापारी का जवाब ये था कि गुजरात में मुसलमान हमेशा समस्या पैदा करते थे लेकिन 2002ई0 के बाद उनको उनका स्थान बता दिया गया और इसके बाद से गुजरात में शांति ही शांति है। मैंने गुजराती व्यापारी से कहा कि ये शांति तो क़ब्रिस्तान की शांति के जैसी है और ये शांति बहुत देर तक कभी भी स्थापित नहीं रह सकती। मेरी इस प्रतिक्रिया से वो भड़क उठे और अपनी लाइन से उठकर दूसरी लाइन में बैठ गये।

आज की सच्चाई ये है कि गुजरात में मुसलमानों को आतंकित किया जा रहा है और मुसलमान इतने भयभीत हैं कि अगर उन्होंने 2002ई0 की खूनी घटना के बारे में कोई भी बात कही तो फिर उन पर हमले किये जायेंगे और वो निशाना बनाये जायेंगे। मुसलमान (जो कि भारत में 20/करोड़ से अधिक हैं) सयुंक्त रूप से नरेन्द्र मोदी के ख़िलाफ़ हैं (यद्यपि मुठ्ठी भर मुसलमान वो भी हैं जो किसी न किसी कारण से नरेन्द्र मोदी की प्रशंसा कर रहे हैं)

नरेन्द्र मोदी के हामियों का दावा ये है कि गुजरात में जो घटना घटी थी वो हिन्दुओं की केवल एक "स्वाभाविक" प्रतिक्रिया थी। क्योंकि गोधरा में एक ट्रेन में कोई 59/हिन्दुओं को मौत के घाट उतार दिया गया था। मैं इस घटना को स्वीकार नहीं करता। मैं इस घटना को सही नहीं मानता। पहली बात तो ये अभी एक राज़ है कि गोधरा में वास्तव में क्या हुआ था? दूसरी बात ये कि वो ख़ास लोग गोधरा की घटना के ज़िम्मेदार थे उनकी पहचान बिल्कुल होनी चाहिये और उन्हें बहुत ही कड़ी और सख़्त सज़ा दी जानी चाहिये, फिर भी सवाल ये है कि गुजरात में पूरे मुस्लिम वर्ग पर हमले के लिये गोधरा में कुछ लोगों की मौत किस प्रकार उचित कारण बन गयी? गुजरात की सामूहिक आबादी में मुसलमान केवल 9/प्रतिशत हैं, बाक़ी आबादी अधिकतर हिन्दु है। 2002ई0 में मुसलमानों का क़त्ल–ए–आम किया गया, उनके मकानों को आग लगाकर जलाया गया और उनके ख़िलाफ़ दूसरे हौलनाक जुर्मों को अन्जाम दिया गया। साल 2002ई0 में गुजरात में किया गया मुसलमानों का क़त्ल–ए–आम साल 1938ई0 में जर्मनी में किये गये उस क़त्ल–ए–आम "Kristallnacht" की याद दिलाता है जिसमें की पूरी यहूदी आबादी को निशाना बनाया गया था। बहुत से यहूदियों को मारा गया था। उनके माबूदों "Synagogues" को आग लगाकर जला दिया गया। उनकी दुकानों को नष्ट किया गया। उस समय जबकि एक यहूदी नौजवान ने पेरिस में एक जर्मन दूत को इसलिये गोली मार कर मौत के घाट उतार दिया क्योंकि जर्मनी में नाज़ियों ने उसके ख़ानदान को सख़्त तकलीफ़ दी थी। जर्मनी में यहूदियों को मारने और उनकी सम्पत्तियों को तबाह करने की कार्यवाही के बारे में नाज़ी शासन ने ये कहा था, "ये केवल एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है" लेकिन वास्वत में नाज़ी अधिकारियों ने क़त्ल व लूटपाट की सुनियोजित कार्यवाही की थी और इसके लिये

सरफिरों के जत्थों का प्रयोग किया था।

ऐतिहासिक प्रगति के अनुसार भारत बहुत बड़ी हद तक एक देश छोड़ने वालों का एक देश है और इसके परिणाम में ये धरती बड़ी हद तक ज़बरदस्त रंगीनी रखती है। इस रूप से इस देश को केवल एक ही पॉलिसी एकता के बंधन में बांध सकती है और इसको प्रगति के पथ पर अग्रसर कर सकती है और वो पॉलिसी धर्मनिरपेक्षता की है। महान शहंशाह जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर की पॉलिसी धर्मनिरपेक्ष ही थी, उनकी ही पालिसी पर नये हिन्दुस्तान के स्तर (पण्डित जवाहर लाल नेहरू और उनके सहयोगी) कार्यरत रहे और उन्होंने हमें एक धर्मनिरपेक्ष क़ानून दिया, अलावा इसके कि हम इस पॉलिसी पर कार्यरत रहें हमारा देश एक दिन के लिये भी बाक़ी नहीं रह सकता क्योंकि इस देश में बहुत सी सभ्यताएं हैं, धर्मों की संख्यां भी उतनी ही है, जातियों की संख्यां भी उतनी ही है, भाषा भी उतनी ही हैं, नस्ली वर्गों की संख्यां भी उतनी ही हैं कि धर्मनिरपेक्षता की पॉलिसी पर कार्यरत रहे बग़ैर ये देश एक दिन के लिये भी बाक़ी नहीं रह सकेगा।

भारत इसी आधार पर केवल हिन्दुओं का देश नहीं है। हिन्दुस्तान मुसलमानों का, सिक्खों का, क्रिस्चनों का, पारसियों का, जैनमत का भी देश है। ये भी कि केवल हिन्दुओं को ही हिन्दुस्तान में रहने, ज़िन्दगी गुज़ारने का हक़ नहीं बल्कि दूसरे वर्गों, दूसरे धर्मों और आस्थाओं के मानने वालों को भी हिन्दुस्तान में रहने, ज़िन्दगी गुज़ारने का बराबरी का हक़ है। प्रथम वर्ग के नागरिक की हैसियत से उन सभी को हिन्दुस्तान में रहने और ज़िन्दगी गुज़ारने का बराबरी का हक़ है ये नहीं हो सकता कि हिन्दु प्रथम वर्ग के नागरिक हों और बाक़ी सभी दूसरे वर्ग के नागरिक हों या फिर तीसरे वर्ग के नागरिक हों। गुजरात में 2002ई0 में किया गया हज़ारों मुसलमानों का क़त्ल–ए–आम और उन पर किये गये दूसरे ज़ुल्म भी कभी भी भुलाये नहीं जा सकते हैं और कभी भी माफ़ नहीं किये जाने चाहिये।

मुसलमानों के क़त्ल–ए–आम और उन पर किये गये दूसरे ज़ुल्मों के जो दाग़ नरेन्द्र मोदी पर लग गये हैं उन दाग़ों को खाड़ी के इत्रों से धोकर भी साफ़ नहीं किया जा सकता है यानि उन दाग़ों को मिटाया नहीं जा सकता है। नरेन्द्र मोदी के हामियों का कहना है कि इस क़त्ल–ए–आम में उनका कोई हाथ नहीं यानि उनको कोई अमल दख़ल नहीं था। ये भी कहा जाता है कि किसी क़ानूनी अदालत ने उन्हें किसी जुर्म में लिप्त नहीं पाया, मैं हमारी अदालत पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता लेकिन मैं यक़ीनन इस दास्तान को क़ुबूल नहीं करता कि साल 2002ई0 में घटी घटना में मोदी का कोई हाथ नहीं था। उस समय तो मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे जबकि ये घटना अपने पूरे चरम पर थी ये कैसे माना जा सकता है कि इन भयानक घटनाओं में मोदी का हाथ नहीं था? कम से कम मेरे लिये तो इस बात का मान लेना सम्भव नहीं।

मुझे केवल एक उदाहरण प्रस्तुत करने दें। एहसान जाफ़री एक सम्मानीय व्यक्ति थे, उम्रदराज़ थे, पूर्व विधानसभा सदस्य थे, अहमदाबाद की चमनपुरा लोकालिटी के निवासी थे, उनका मकान गुलबर्ग हाउसिंग सोसाइटी में था, जहां पर अधिकतर मुसलमान परिवार निवासी थे। उनकी बूढ़ी बीवी ज़किया जाफ़री के दर्ज कराये गये बयान के अनुसार 28 फ़रवरी 2002ई0 को बलवाई जत्थे ने गैस के सिलेन्डरों का इस्तेमाल करते हुए हाउसिंग सोसाइटी के अहाते की दीवार को धमाके से उड़ा दिया, फिर ये जत्था एहसान जाफ़री को घर के अन्दर से बाहर खींच लाया, उन्हें बेलिबास कर दिया, तलवारों के वार करके उनक बाज़ू काटे गये, फिर उन्हें ज़िन्दा जला दिया। चमनपुरा लोकलिटी एक पुलिस स्टेशन से कोई एक किलोमीटर की दूरी पर है और अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर का आफ़िस तो उससे भी कम दूरी पर है। चमनपुरा लोकलिटी में दूसरे कई मुसलमान मारे गये और उनके घर आग लगाकर जला दिये गये।

क्या ये बात मानने की है कि मुख्यमंत्री मोदी हों और इन हो रही घटनाओं से बिल्कुल बेख़बर और अनभिज्ञ रहें? ज़किया जाफ़री तो हुई घटना के बाद अपने पति के लिये न्याय मांगने के लिये प्रशासन और अदालत के चक्कर काट रही हैं। नरेन्द्र मोदी के ख़िलाफ़ उनके फ़ौजदारी के केस को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ख़ारिज कर डाला (चूंकि सुप्रीम कोर्ट की बनायी हुई स्पेशल इन्वेस्टीगेशन ने नरेन्द्र मोदी के ख़िलाफ़ कोई सुबूत नहीं पाया और एक फ़ाइनल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाख़िल कर दी थी) और (कोई दस साल से ज़्यादा समय के बाद)

(शेष पेज 15 पर)

अब्दुल अज़ीम जामई

शैतान के हथकन्डे

शैतान किसे कहते हैं?

शैतान अरबी भाषा का शब्द है। अरब वाले हर उस चीज़ को शैतान बोलते हैं जो सरकश और बाग़ी हो, चाहे वो इन्सान हो, जिन्न हो या कोई जानवर। यही वजह है कि क़ुरआन में भी ये शब्द सरकश व बाग़ी इन्सानों व जिन्नों के लिये इस्तेमाल किया गया है। अल्लाह तआला का इरशाद है:

"और इस तरह हमने हर नबी के दुश्मन बनाये थे। इन्सान और जिन्न शैतानों में से जो धोखा देने की ग़रज़ से कुछ खुशआइन्द बातें एक दूसरे के दिल में डालते हैं।"

इसी तरह रिसालत के ज़माने में जो मुनाफ़िक़ और सरकश लोग थे, उनके बारे में अल्लाह तआला ने शैतान का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया है जैसा कि अल्लाह तआला का इरशाद है:

"जब ईमानवालों से उनकी मुलाक़ात होती है, तो कहते हैं कि हम ईमान ले आये हैं, और वो जब अपने बड़ों (सरकश सरदारों) के पास जाते हैं तो कहते हैं, हम तो तुम्हारे साथ हैं और उनसे तो हम सिर्फ़ मज़ाक़ करते हैं।"

मुसनद अहमद में अबू उमामा रज़ि0 से मरवी है कि रसूलुल्लाह स0अ0 ने फ़रमाया: "ऐ अबूज़र अल्लाह के ज़रिये जिन्न व इन्स (इन्सानों) के शैतानों के शर से पनाह मागों। अबू ज़र रज़ि0 ने कहा: ऐ अल्लाह के नबी स0अ0 क्या इन्सानों के भी शैतान होते हैं? तो आप स0अ0 ने फ़रमाया! इन्स और जिन्न के शैतान लोगों को धोखा देने के लिये कुछ गढ़ी हुई बातें एक दूसरे तक पहुंचाते रहते हैं।"

मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह ने 'शयातीनुल इन्स वल जिन्न' की तफ़सीर में कहा है कि जिन्नों के कुफ़्फ़ार शैतान होते हैं और इन्सानों के कुफ़्फ़ार शैतान कहलाते हैं। सामूहिक रूप से इन्सानों के मुक़ाबले जिन्नात क्योंकि ज़्यादा सरकश होते हैं, इसीलिये लफ़्ज़ शैतान का इस्तेमाल ज़्यादातर जिन्नात के लिये किया गया है। जैसा कि हज़रत सुलेमान अलै0 का ज़िक्र करते हुए क़ुरआन में फ़रमाया गया:

"बहुत से शैतान भी हम उसके अधीन किये हुए थे जो उसके आदेश से ग़ोता लगाते थे और उसके सिवा भी बहुत कुछ करते थे। उनके निगहबान हम ही थे।"

इसी तरह वो जिन्नात फ़रिश्तों के कलाम सुनने की कोशिश में आसमान के क़रीब हो जाना चाहते हैं और उन पर सितारों से निकलने वाले अंगारे बरसाये जाते हैं। उन्हें भी क़ुरआन मजीद में शैतान कहा गया है: "और हमने (सितारों) को शैतानों को मारने के लिये बनाया है।"

शैतान की पैदाइश का मक़सद:

शैतान को अल्लाह तआला ने इसलिये पैदा किया है ताकि उसके ज़रिये अपने बन्दों का इम्तिहान ले सके कि कौन शैतानी रास्ता अपनाता है और कौन अल्लाह का फ़रमाबरदार बन कर रहता है और जिस मक़सद के लिये पैदा किया गया है उसे पूरा करने के लिये ऐसी कूवत और ताक़त अता फ़रमायी है जिसे वो असलहे के तौर पर इन्सानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करता है और शैतानी ताक़त निम्नलिखित हैं:

1– ये इन्सानों को नज़र नहीं आता।

2– इन्सानों के दिल में बुरे ख़्यालात डालने की ताक़त रखता है।

3– इन्सान के जिस्म में दाख़िल हो सकता है।

4– बुराई को इन्सानों के लिये खुशनुमा बना कर पेश कर सकता है।

5– हर जगह आने और जाने की बेपनाह ताक़त और तेज़ रफ़्तारी भी उसे हासिल है।

उप्रोक्त सभी ताक़तो के बावजूद शैतान, इन्सानों को ज़बरदस्ती गुमराह नहीं कर सकता। अल्लाह तआला के नेक, सालेह बन्दों पर क़ाबू नहीं पा सकता और न ही

ज़बरदस्ती किसी को गुमराह कर सकता है। जैसा कि क़ुरआन मजीद में फ़रमाया गयाः

"बिलाशुब्हा मेरे बन्दों पर तुझे कोई ग़ल्बा नहीं लेकिन हां जो गुमराह तेरी पैरवी करें।"

इसी तरह जहन्नम में जाने के बाद शैतान ख़ुद जहन्नमी लोगों से कहेगाः "मेरा तुम पर कुछ ज़ोर न था, सिवाये इसके कि मैंने तुम्हें बुलाया और तुमने मेरी बात मान ली, लिहाज़ा आज तुम मेरी निंदा मत करो बल्कि स्वयं की निंदा करो।" इन दोनों आयतों से मालूम हुआ कि शैतान हर किसी को ज़बरदस्ती गुमराह नहीं करता अलावा इसके कि जो उसके दावत पर लबबैक कहे।

शैतान का वसवसा:

शैतान का सबसे बड़ा हथियार इन्सान के दिल में वसवसे डालने का है और ये इस पर पूरी इस्तेताअत रखता है। इसी लिये आप स0अ0 को क़ुरआन मजीद में जो तअव्वुज़ सिखाया गया है, उसमें ये शब्द भी हैं: "ऐ नबी आप कह दीजिये की मैं लोगों के परवरदिगार की पनाह में आता हूं, वसवसा पैदा करने वाले, छिप जाने वाले के शर से जो लोगों के सीनों मे वसवसा पैदा करता है, चाहे वो जिन्नों में हो या इन्सानों में से।"

हदीस में शैतान की इस कैफ़ियत को बयान किया गया है, जो अज़ान के वक़्त और अज़ान के बाद होती है। हज़रत अबूहुरैरह रज़ि0 से मरवी है कि अल्लाह के रसूल स0अ0 ने फ़रमायाः "जब नमाज़ के लिये अज़ान दी जाती है तो शैतान हवा ख़ारिज करता हुआ बड़ी तेज़ी के साथ पीठ फेर कर भागता है ताकि अज़ान की आवाज़ न सुन सके, और जब अज़ान ख़त्म होती है तो फिर वापिस आ जाता है लेकिन ज्यूं ही तकबीर शुरू होती है वो पीठ फेर कर भागता है और जब तकबीर ख़त्म होती है तो वो दोबारा आता है और नमाज़ी के दिल में वसवसा डालता है और कहता है कि फ़लां बात याद कर, फ़लां बात याद कर, चुनान्चे शैतान उन बातों को याद दिलाता है जिनका उसे ख़्याल भी नहीं होता, और इसी तरह उस शख़्स को ये भी याद नहीं रहता कि उसने कितनी रकअतें पढ़ीं हैं।"

शैतान के वसवसों में से ये भी है कि वो एक नेक और सालेह आदमी के संबंध से बदगुमानी पैदा करता है, जिसकी संभावना ख़ुद नबी करीम स0अ0 को उस समय हुई जब आप अपनी बीवी सफ़िया रज़ि0 के साथ मस्जिद से चल पड़े ताकि उन्हें घर छोड़ आयें तो अचानक दो अन्सारी सहाबी वहां से गुज़रे और आप को सलाम कहकर आगे बढ़ गये। आप ने उनसे फ़रमायाः "आराम से जाओ ये मेरी बीवी सफ़िया हैं, वो कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल, अल्लाह पाक है (आपकी बाबत भला हमें क्या बदगुमानी हो सकती है) मानो आपकी ये बात उन पर बड़ी भारी पड़ी लेकिन आप स0अ0 ने फ़रमायाः शैतान इन्सान के अन्दर ख़ून की तरह दौड़ता है, उससे मुझे ख़ौफ़ हुआ कि कहीं वो तुम्हारे दिल में कोई वसवसा या शुब्हा न डाल दे।"

शैतानी वसवसे और अम्बिया किराम

शैतानी वसवसे आम इन्सानों की हद तक सीमित नहीं थे बल्कि अम्बिया–ए–किराम जैसे पाक और अल्लाह के बरगज़ीदा बन्दों के दिलों में भी वसवसे डालता है। जैसा कि क़ुरआन मजीद में फ़रमाया गयाः "और हमने आप से पहले जिस भी नबी और रसूल को भेजा और उसने ख़्वाहिश की कि लोग उसकी दावत क़ुबूल करें तो शैतान ने उसकी ख़्वाहिश में रूकावट पैदा की, तो अल्लाह ने शैतान की रूकावट को ज़ायल कर दिया, फिर अपनी बातों को पक्की कर दिया, और अल्लाह बड़ा जानने वाला और बड़ा हिकमतों वाला है। इस्लाम की राह में रूकावटें पैदा करने के लिये इस्लाम के ख़िलाफ़ जिन लोगों के दिलों में वसवसे डालता है, वो दो ही क़िस्म के लोग हैं: (1) मुनाफ़िक़ीन (2) वो लोग जिनके दिल क़ुबूल–ए–हक़ के सिलसिले में पत्थर की तरह सख़्त हो चुके हैं।"

शैतान की ग़रज़ व मक़सद

शैतान इन्सान का खुला हुआ दुश्मन है, जैसा कि क़ुरआन मजीद में फ़रमाया गया है: "बिलाशुब्हा शैतान इन्सानों का खुला हुआ दुश्मन है, शैतान अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिये बेइन्तहा कोशिश करता है, शैतान का अस्ल टारगेट इन्सान है, इसके ग़रज़ व मक़सद निम्नलिखित हैं।"

1– बन्दों को कुफ़्र व शिर्क मे डालना।

2– काफ़िर न बना सके तो गुनाह में डालना।

3– अल्लाह की इताअत से रोकना।

4– इबादत व इताअत में ख़राबी पैदा करना।

5– जिस्मानी और ज़हनी तकलीफ़ पहुंचाना।

इन्सान को गुमराह करने के लिये शैतान के

हथकन्डे:

शैतान इन्सान से कभी ये नहीं कहता कि फ़लां–फ़लां अच्छे काम छोड़ दो, और फ़लां–फ़लां बुरे काम शुरू कर दो। अगर वो ऐसा करे तो कोई भी उसकी बात न माने, बल्कि वो लोगों को गुमराह करने के लिये दूसरे बहुत से तदबीरें इस्तेमाल करता है, जो निम्नलिखित है:

1– बुरे कामों को अच्छा बनाकर पेश करना:

ये वो हथकन्डा है जो हज़रत आदम अलै0 को बहकाने के लिये इब्लीस ने इस्तेमाल किया था, जिस पेड़ को अल्लाह ने उनके लिये हराम कर दिया था, उसके बारे में शैतान ने कहा, ये जन्नत का पेड़ है उसका फल खा लो तो हमेशा के लिये जन्नत में रहोगे या फ़रिश्ते बन जाओगे, आदम अलै0 ने उसकी बात मान ली और उसी के नतीजे में जन्नत से निकलना पड़ा, और कुरआन में अम्बिया का इनकरा करने वालों के संबंध ये फ़रमाया गया: "शैतान ने उनके बुरे करतूत उन्हें खुशनुमा करके दिखाये।"

2– इन्सान को काहिल और सुस्त बना देना:

शैतान इन्सान को काहिल और सुस्त बनाकर उसे इस बात का आदी बना देता है कि वो आज का काम कल पर टाले, ये ऐसा ख़तरनाक हरबा है कि अक्सर लोग कल की उम्मीद में नेकी और तौबा करने में पीछा रह जाते हैं, और कल शब्द बढ़ते–बढ़ते उम्र ख़ात्मे पर पहुंच जाता है और मौत का निवाला बन जाते हैं। ऐसे ही लोगों के बारे में कुरआन मजीद ऐलान करता है: "उन लोगों की तौबा कुबूल नहीं होती जो बुरे काम करते रहते हैं, यहां तक कि जब मौत सामने होती है तो कहतें है कि अब मैंने तौबा कर ली।"

लिहाज़ा अक़्लमन्द आदमी वही है जो आज का काम उसी वक़्त कर दे और कल पर न टाले।

इन्सान से हमदर्दी का इज़हार:

शैतान इन्सान को ये कहकर गुनाहों की दावत देता है कि वो इसका हमदर्द और शुभचिन्तक है। उसने बाबा आदम से भी क़सम खाकर यही कहा था, जैसा कि कुरआन मजीद में इरशाद है:

"उसने क़सम खाकर कहा कि मैं तुम्हारा सच्चा ख़ैरख़्वाह हूं, जो आदमी शैतान की हमदर्दी का शिकार हो गया वो धोखे में पड़ गया।"

शेष : लहू के दाग़

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के दिये गये हुक्म को निरस्त करते हुए ये हिदायत दी है कि अदालत उनकी विरोध प्रदर्शनों पर विचार करे। मैं इस मामलें में ज़्यादा कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि ये मामला अभी तक अदालत में चल रहा है।

नरेन्द्र मोदी ने ये दावा किया है कि "उन्होंने गुजरात को उन्नति दी है" इसलिये ज़रूरी हो गया है कि "उन्नति" का अर्थ समझा जाये। मेरे दिमाग़ में उन्नति का अर्थ केवल ये है कि जनता का जीवन स्तर उच्च हो जाये। बड़े–बड़े व्यापारिक घरानों को छूट देना, सस्ते दामों में ज़मीन देना, सस्ती बिजली उपलब्ध कराने को बड़ी मुश्किल से उन्नति कहा जा सकता है, अगर इसके नतीजे में जनता का जीवन स्तर उच्च न हो।

आज कोई 48 प्रतिशत गुजराती बच्चे पोषक तत्वों से वंचित हैं, राष्ट्रीय अनुपात के आधार पर भी गुजरात में पोषक तत्वों से बच्चों की वंचिती इससे भी कहीं बढ़कर है। गुजरात में पैदा होने वाले बच्चों की मौत का अनुपात और जच्चा औरतों की मौत का प्रतिशत बहुत अधिक है। देहाती क्षेत्रों व क़बाइली क्षेत्रों में शदीद वर्ल्ड कास्ट / बैक वर्ल्ड कास्ट में ग़ुरबत ज़दगी में शरह 58 प्रतिशत है।

जैसा कि रामचन्द्र रगोहा के "The Hindu" में 8 फ़रवरी को प्रकाशित होने वाले लेख में बताया गया है कि गुजरात में माहौलियाती तबाही बढ़ रही है, शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है और बच्चे पोषक तत्वों से वंचित होते जा रहे हैं। गुजरात में व्यस्क मर्दों का एक तिहाई से ज़्यादा हिस्सा जिस्मानी रूप से निम्न स्तर से भी ज़्यादा कमज़ोर है। साल 2010ई0 में सयुंक्त राष्ट्र संघ की उन्नति की पॉलिसी UNDP रिपोर्ट के अनुसार उन्नति के लिहाज़ से गुजरात को भारतीय राज्यों में आठ राज्यों के बाद नम्बर है। ये स्थान सेहत, शिक्षा व आमदनी के अनुसार दिया जाता है।

बिज़िनेस लीडर्स वाक़ई ये दावे करते हैं कि नरेन्द्र मोदी ने गुजरात में कारोबार के लिये एक साज़गार माहौल बना दिया है। लेकिन क्या केवल बिज़िनेस लीडर्स ही हिन्दुस्तान की क़ौम हैं? मैं भारत की जनता से ये अपील करता हूं कि वो इन सब बातों पर विचार करे। शर्त ये है कि उन्हें क़ौम के भविष्य के संबंध से वास्तविक चिन्ता हो अन्यथा वो वही ग़लती कर सकते हैं, जो कि जर्मन क़ौम ने सन् 1933ई0 में की थी।

मौलाना ज़फ़र अहमद क़ासमी

परिवार नियोजन

Family Planning

अल्लाह तआला ने इस दुनिया को पैदा किया। इसमें भांति–भांति के प्राणियों, वनस्पतियों व जानवरों को रखकर इसे बसाया और आबाद किया। वही इस दुनिया का मालिक, ख़ालिक़ व राज़िक़ है। दुनिया की हर चीज़ उसके अधीन है। सूरज, चांद, सितारे उसी के हुक्म से निकलते और डूबते हैं, हवांए उसके हुक्म से चलती हैं, आसमान से बारिश की एक बूंद उसके हुक्म के बग़ैर नाज़िल नहीं होती, इसी तरह इन्सानों का मरना और जीना उसी के आदेशानुसार है। इन्सान इस दुनिया में न अपनी मर्ज़ी से आता है और न अपनी मर्ज़ी से जाता है। मौत व ज़िन्दगी सब अल्लाह के अधीन है।

जब ये बात मालूम है कि दुनिया की व्यवस्था सृष्टि के सृष्टा के हाथों में है, वही उसका मालिक है और वही सबको रोज़ी देता है, उसी के पास हर चीज़ का ख़ज़ाना है, वो अपने ज्ञान के अनुसार जितना चाहता है अवतरित करता है। अल्लाह तआला का इरशाद है:

"और कोई चीज़ ऐसी नहीं जिसके ख़ज़ाने हमारे पास मौजूद न हों और हम उनमें से एक विशेष मात्रा ही नाज़िल करते हैं।"

दुनिया में इन्सानों की आबादी, उनकी संख्यां कब, कितनी और कहां होनी चाहिये, ये भी अल्लाह तआला ने अपने ज़िम्मे ले रखा है। उसमें नस्ल के ख़ात्मे के द्वारा दखलअन्दाज़ी करना, प्राकृतिक व्यवस्था में दखलअन्दाज़ी और उसमें ख़राबी पैदा करना यही परिवार नियोजन और बर्थ कन्ट्रोल (**Birth Control**) है। जो न शरीअत के अनुसार ठीक है, न अक़्ल के अनुसार और न ही अनुभव व एतिहासिक रूप से ठीक है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि0 कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह स0अ0 के साथ जिहाद में शरीक हुए और जवान होने की बुनियाद पर जिन्सी ख़्वाहिश हमें एकाग्रचित नहीं होने देती तो हमने रसूलुल्लाह स0अ0 से ख़स्सी होने की आज्ञा मांगी ताकि मर्दान्गी ख़त्म होने के बाद एकाग्र होकर व दिल लगाकर जिहाद में शरीक हों तो रसूलुल्लाह स0अ0 ने हमको ऐसा करने से मना कर दिया और इसके हराम होने को बयान करने के लिये क़ुरआन करीम की आयत तिलावत फ़रमायी:

"ऐ ईमान वालों! तुम अल्लाह की उन पाकीज़ा चीज़ों को अपने लिये हराम मत करो जो उसने तुम्हारे लिये हलाल की हैं, और हद से आगे न बढ़ो, क्योंकि अल्लाह हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता।"

इसी तरह अबूहुरैरा रज़ि0 ने अपने ज़ाति हालात के मद्देनज़र रसूलुल्लाह स0अ0 से ख़स्सी होने की इजाज़त मांगी ताकि लैंगिक इच्छाओं की परेशानियों से दूर हो जायें और गुनाह में पड़ने का ख़तरा न रहे तो आप स0अ0 ने उन्हें सख़्ती से मना कर दिया।

ऐसे ही नस्ल का ख़ात्मा करने के लिये कोई भी ऐसा तरीक़ा अपनाना जिससे गर्भ न ठहरे, ये भी नापसंदीदा है, रिसालत के युग में गर्भ न ठहरने के लिये एक उपाय था कि मर्द सम्भोग तो करे मगर अपनी मनी को बाहर गिरा दे ताकि मनी भ्रूण में जाकर गर्भ ठहरने का कारण न बन सके। इस तरीक़े के बारे में सहाबा किराम रज़ि0 ने रसूलुल्लाह स0अ0 से पूछा तो आप स0अ0 ने फ़रमाया, "अगर तुम ऐसा न करो तो इसमें तुम्हारा कोई नुक़सान नहीं, क्योंकि जो जान क़यामत तक पैदा होने वाली है वो तो पैदा होकर रहेगी।"

मुस्लिम शरीफ़ में हज़रत जाबिर रज़ि0 से रिवायत है एक व्यक्ति ने रसूलुल्लाह स0अ0 के दरबार मे आकर अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह स0अ0 मेरी एक लौन्डी है जो घर का काम करती है, मैं उसके साथ संबंध स्थापित करता हूं मगर मैं चाहता हूं कि वो गर्भवती न हो तो क्या में अज़्ल (सम्भोग के समय मनी बाहर गिराना) कर लूं? आप स0अ0 ने फ़रमाया, "अगर तुम्हारा दिल यही चाहता

है तो अज़्ल कर लो, मगर ये जान लो जो बच्चा इसके पेट से पैदा होना अल्लाह की क़ुदरत की ओर से लिखा जा चुका है वो ज़रूर हो कर रहेगा।" अख़बारों में आये दिन हमारी नज़रों से ऐसी ख़बरें गुज़रती हैं कि फ़लां जगह नसबन्दी के बावजूद बच्चा पैदा हुआ, फ़लां औरत नसबन्दी कराने के बाद भी गर्भवती हो गयी, इससे अल्लाह की क़ुदरत और उसकी बड़ाई ज़ाहिर होती है कि वो जिसको पैदा करना चाहता है उसको कोई रोक नहीं सकता, इसलिये परिवार नियोजन के मसले को उसी पर छोड़ देना चाहिये वो हमारे लिये जो मुनासिब व बेहतर होगा करेगा। वही ग़ैब का जानने वाला है।

परिवार नियोजन (**Birth Control**) और नस्ल का ख़ात्मा अक़्ली एतबार से भी दुरूस्त और सही नहीं है कि इस दुनिया में इन्सानों के आने–जाने का सिलसिला क़ायम और जारी है तो जब हमको जाने वालों यानि मरने वालों की मात्रा पर नियन्त्रण नहीं है कि इस साल इतने मरेंगे, इससे ज़्यादा नहीं तो आने वालों की संख्यां पर नियन्त्रण लगाना यानि बर्थ कन्ट्रोल का तरीक़ा अपनाना कहां की अक़्लमन्दी है। ऐसा करने से दुनिया की व्यवस्था छिन्न–भिन्न हो जायेगी इसलिये इस काम को अलीम व ख़बीर, हकीम व लतीफ़ परवरदिगार पर छोड़ देना चाहिये। उसकी व्यवस्था में दख़लअन्दाज़ी किसी भी प्रकार से सही और ठीक नहीं। केवल इस ख़तरे से कि आने वाले क्या खायेंगे, नस्ल कुशी के लिये आन्दोलन करना, और उस पर नियन्त्रण प्राप्त करने के लिये रूपया ख़र्च करना किसी भी प्रकार से ठीक नहीं। जब आबादी ज़्यादा होगी तो रिज़्क़ के कारण व साधन भी अधिक पैदा होंगे। अनुभव गवाह हैं कि जिस प्रकार लोगों की आबादी बढ़ी है, पैदावार भी उसी तरह बढ़ी है बल्कि उससे ज़्यादा हुई है। हमारे हिन्दुस्तान में आज़ादी के पचास साल पूरे होने पर एक शोध हुआ था जिसमें बताया गया था कि आज़ादी के बाद हिन्दुस्तान की आज़ादी दोगुना बढ़ी है और ग़ल्ले की पैदावार चार गुना बढ़ी है।

मुझे हज़रत मुफ़्ती मुहम्मद अब्दुल्लाह साहब फूलपुरी मद0 की एक बात बहुत अच्छी लगी जो फ़ैज़ान–ए–अशरफ़ के एक अंक में पढ़ने को मिली, उन्होंने कहा कि क्या पैदा होने वाला बच्चा सिर्फ़ पेट लेकर पैदा होता है जो हम चिल्ला रहे हैं कि वो कहां से खायेगा और वो क्या खायेगा, बल्कि हर पैदा होने वाला बच्चा एक पेट के साथ दो हाथ, दो पैर और दिल व दिमाग़ भी लेकर आता है। वह उसी के ज़रिये कमाएगा और खाएगा, अल्लाह तआला सबका ख़ालिक़ है और वही सबका राज़िक़ है।

इस ज़मीन को अल्लाह तआला ने ज़िन्दा और मुर्दा दोनों के लिये पर्याप्त घोषित कर दिया है, अल्लाह तआला का इरशाद है: "तो इस ज़मीन पर जैसे इन्सान बसते हैं उसी तरह बहुत से हैवानात भी रहते हैं जिनमें संतुलन के द्वारा उनकी नस्ल क़ायम है और उनके अन्दर नस्ल बढ़ाने की ऐसी ज़बरदस्त ताक़त है कि अगर उन्हें अगर अल्लाह तआला पूरी ताक़त से बढ़े तो एक छोटे से अर्से में ही एक नूअ की नस्ल से पूरी ज़मीन पट जायेगी कि दूसरे प्राणियों के लिये कोई जगह ही नहीं रहेगी।" मगर अल्लाह तआला उनको एक सीमित मात्रा जो दुनिया के लिये आवश्यक है से बढ़ने नहीं देता। देखिये स्टार मछली 20 करोड़ अन्डे देती है, अगर उसके एक व्यक्ति को नस्ल बढ़ाने का मौक़ा मिल जाये तो फिर उसकी तीन चार पुश्त तक दुनिया के तमाम समन्दर इस तरह पट जायेंगे कि उनमें एक क़तरा पानी की गुन्जाइश न रहेगी। मगर वो कौन है जो उनकी नस्ल को एक निश्चित सीमा से बढ़ने नहीं देता, बेशक वो अल्लाह तआला की हिकमत व ज्ञान है न कि हमारी वैज्ञानिक कोशिश। तो जिस तरह से अल्लाह तआला ने दुनिया के सभी प्राणियों की नस्लों में ऐसी बढ़ोत्तरी नहीं कि, जिससे ज़मीन तंग हो जाये, बिल्कुल उसी तरह उसकी हिकमत इन्सानी नस्ल पर भी हावी है, हमेशा से उसी की हिकमत के मुताबिक़ अमल होता रहा है और आगे भी होता रहेगा फिर हमें क्या ज़रूरत है कि क़ुदरत के इन कामों में दख़ल अन्दाज़ी करें और परिवार नियोजन जैसा बेकार काम करें। परिवार नियोजन से मर्द–औरत दोनों के जिस्म के अस्बी निज़ाम (सेक्सुअल ग्लैन्डस) पर बुरे प्रभाव पड़ते हैं। मनुष्य के व्यस्क होने के समय जब इन ग्लैन्डस् का काम तेज़ हो जाता है तो जिस तरह मर्द–औरत में औलाद पैदा करने की क्षमता विकसित होती है, इसी प्रकार उनमें खूबसूरती, शाइस्तगी, दिमागी ताक़त, जिस्मानी ताक़त और अमली सरगर्मियां भी पैदा होती हैं। ....

(शेष पेज 19 पर)

मर्द व औरत की नमाज़ में फ़र्क़

मौलाना शफ़ी अहमद क़ासमी

नमाज़ एक अहम इबादत है। इसकी अहमियत व अज़्मत का अन्दाज़ा इससे बख़ूबी हो सकता है कि अल्लाह तआला ने तमाम फ़र्ज़ चीज़ों को ज़मीन पर ही फ़र्ज़ किया है और नमाज़ को फ़र्ज़ करने के लिये अपने महबूब को ही अर्श पर बुला भेजा और ये फ़रीज़ा दिया, ज़रा ग़ौर कीजिये! अल्लाह तआला ने फ़र्श से अर्श पर उठाकर महबूब फ़रीज़ा महबूब के ज़िम्मे लगाया कि उम्मत को पता चल जाये कि अहकमुल हाकिमीन के नज़दीक इबादतों में सबसे अहम, महबूब, अल्लाह तक रसाई कराने वाली और अपनी हर हाजत को पूरा कराने के लिये बेहतर बल्कि बेहतरीन ज़रिया व वसीला नमाज़ है, लेकिन आह! कि उम्मत की एक बड़ी संख्या इसी से पीछे रह गयी, उसे ही छोड़ बैठी और शैतानों पर उसका ज़ोर ख़ूब चला। अब भी वक़्त है कि इस इबादत को जान से प्यारा बनाइये और अपनी ज़िन्दगी का सबसे बड़ा हिस्सा बनाइये और कुछ लोग ऐसे हैं जो नमाज़ तो पढ़ते हैं लेकिन पढ़ने जैसी नहीं पढ़ते, आह! उम्मत की बदहाली पर जिस क़दर भी रोये भी कम हैं कि इस फ़ना होने वाली दुनिया का छोटा सा काम करना हो तो उसे सीखे समझे बग़ैर करने को तैयार हो सकता है? लेकिन नमाज़ को सुन्नत के मुताबिक़ सीखने की ज़रूरत ही महसूस नहीं की जाती है।

सुन लीजिये! नमाज़ अगर रसूलुल्लाह स0अ0 की तरह नहीं हुई तो वो भले ज़िम्मे से साक़ित सही फिर भी जिस क़द्र सवाब व अल्लाह की कुरबत हासिल होना चाहिये थी वो नहीं हो सकती, ये कितना बड़ा ख़सारा व नुक़सान है कि पूरी ज़िन्दगी जैसी तैसी नमाज़ें पढ़ डालीं। इससे बड़ी महरूमी व बदनसीबी और क्या हो सकती है कि काम तो किया और वक़्त भी पूरा ख़र्च किया लेकिन सवाब उस तरह न मिला। क्या आप चाहते हैं कि सवाब पूरा–पूरा हासिल कर लें तो इसका तरीक़ा ये है कि उलमा–ए–किराम से पूछें और उसके मुताबिक़ अमल करें, या कुछ दिनों ख़ानक़ाहों में अल्लाह वालों की सोहबत अपनाएं कि इससे ज़ाहिर तो संवर जायेगा और बातिन का संवरना अलग से, वरना मक़सद तक पहुंच जाना बहुत मुश्किल मालूम होता है।

अल्लाह तआला ने औरतों के हुक्म मर्दों से कुछ मुख़्तलिफ़ रखे हैं, चुनान्चे नमाज़ में भी कई मसाएल ऐसे हैं कि अगर एक तरफ़ मर्दों को एक हुक्म दिया गया तो दूसरी तरफ़ औरतों को दूसरा हुक्म। फिर भी नीचे कुछ मसलों को लिखा जा रहा है ताकि पर्दा नशीन औरतें सुन्नत के मुताबिक़ नमाज़ पढ़ सकें।

औरतों की नमाज़:

1. तकबीर–ए–तहरीमा के वक़्त अपने हाथों इस तरह कि उंगलियों का सिरा मोंढ़े के मुक़ाबिल हो जाये।
2. अपने हाथ को आस्तीन से न निकालें।
3. दायें हाथ की हथेली को बायें हाथ की हथेली की पुश्त पर रखकर सीने पर रखें।
4. दोनों पांव के टख़्ने मिलाकर रखें।
5. रूकु में थोड़ा सा झुकें कि उंगलियां घुटने पर पहुंच जाये।
6. इसमें उंगलियों को कुशादा न करें बल्कि मिलाकर रखें।
7. घुटनों को हल्का सा झुकाव दें
8. दोनों बाज़ू को पहलू से ख़ूब मिलायें रहें।
9. सज्दा में अपने बाज़ू को पहलू से और पेट को रानों से चिपका दें।
10. क़ादह में बायें कूल्हे पर बैठें और दोनों पैर बायें जानिब निकाल दें।
11. जहरी नमाज़ में ज़ोर से न बैठें।
12. जमाअत बनाना मकरूह तहरीमी है।
13. इमाम नहीं बन सकतीं।

मर्दों की नमाज़:

1. तकबीर–ए–तहरीमा के वक़्त अपने हाथों के अंगूठे कानों की लौ तक उठाएं।
2. दायें हाथ की हथेली को बायें हाथ की हथेली की पुश्त पर छोटी उंगली और अंगूठे का घेरा बनाकर नाफ़ के नीचे बांध लें।
3. दोनों पैरों के बीच चार उंगलियों का फ़ासला रखें।
4. रूकु में अपने सर को सरीन के बराबर रखें।
5. हाथों से घुटनों को पकड़ कर रखें।
6. उंगलियां खुली रखें।
7. पिंडलियां खड़ी रखें।
8. सजदे में अपने पेट को रानो से और बाजुओं को बग़ल से जुदा रखें।
9. क़ादा में अपने बायें पांव बिछा कर बैठ जायें और दायें पांव को खड़ा रखे।

हज़रत मौलाना अली मियाँ की याद में

शम्मे वफ़ा जलाये थे सैय्यद अली मियाँ
हर दिल में घर बनाये थे सैय्यद अली मियाँ
इन्सानियत के बाग़ लगाते रहे सदा
इन्सानियत के फूल खिलाते रहे सदा
इन्सानियत की बात बताते रहे सदा
इन्सानियत का जश्न मनाते रहे सदा
बज़्में वफ़ा सजाये थे सैय्यद अली मियाँ
हर दिल में घर बनाये थे सैय्यद अली मियाँ
औरों में बांटते रहे वो अपनी हर ख़ुशी
छोटे बड़े सभी से थी हज़रत की दोस्ती
इल्मो-ओ-अदब की दे गये थे सबको रोशनी
ज़िन्दा है उनका नाम ज़माने में आज भी
सबको गले लगाये थे सैय्यद अली मियाँ
हर दिल में घर बनाये थे सैय्यद अली मियाँ
वो बाउसूल और इबादतगुज़ार थे
पाबन्द थे नमाज़ के परहेज़गार थे
करते थे बात दीन की वो दीनदार थे
अल्लाह और रसूल पे दिल से निसार थे
ख़ालिक़ से लौ लगाये थे सैय्यद अली मियाँ
हर दिल में घर बनाये थे सैय्यद अली मियाँ
वो नेक दिल थे साहिबे किरदार थे बहुत
इन्सानियत के दिल से तलबगार थे बहुत
अहले अरब भी उनके तरफ़दार थे बहुत
अहले अजम भी उनके वफ़ादार थे बहुत
सबके दिलों पे छाए थे सैय्यद अली मियाँ
हर दिल में घर बनाये थे सैय्यद अली मियाँ
आलिम भी थे वो क़ौम के रहबर थे दोस्तों
यानि वफ़ा, ख़ुलूस का पैकर थे दोस्तों
हस्सास तबीयत थे क़लन्दर थे दोस्तो
इन्सानियत का एक समन्दर थे दोस्तों
ज़ेहनों पे सबके छाये थे सैय्यद अली मियाँ
हर दिल में घर बनाये थे सैय्यद अली मियाँ
रायबरेली में जो तकिया मुक़ाम है
हज़रत का घर यहीं पे है ये बात आम है
तालीम का यहां पे बड़ा इन्तिज़ाम है
दुनिया में ऐ "ख़लील" बड़ा इसका नाम है
रुत्बा इसे दिलाये थे सैय्यद अली मियाँ
हर दिल में घर बनाये थे सैय्यद अली मियाँ

ख़लील फ़रीदी, रायबरेली

शेष : परिवार नियोजन

अगर उन ग्रन्थियों के प्राकृतिक उद्देश्य को पूरा न किया जाये तो ये अपनी ज़िम्नी अमल यानि तक़वियत को भी छोड़ देंगे। जिससे दोनों सिनफ़ों में नामर्दी व कमज़ोरी पैदा हो जायेगी।

अल्लाह तआला ने मर्द-औरत के मिलाप में जो कशिश और सुकून रखा है उसकी मंशा यही है कि अपनी ख़्वाहिश को पूरा करने के साथ वो नस्ल बढ़ाने का सिलसिला भी जारी रखे जिसमें नस्ल इन्सानी बाक़ी रहे, अब अगर कोई व्यक्ति सुकून तो हासिल करता है मगर उस मक़सद को पूरा नहीं करता जिसके मुआवज़े में उसको ये सुकून प्राप्त हुआ है तो ऐसे व्यक्ति की मिसाल उस नौकर व ख़ादिम जैसी है जो तन्ख़्वाह पूरी-पूरी हासिल करता है मगर काम व ख़िदमत से कोताही बल्कि इनकार करता है। यक़ीनन ऐसा नौकर या ख़ादिम सज़ा योग्य है। इसी तरह वो इन्सान भी मुजरिम और सज़ा के लायक़ है जो लज़्ज़ते शबाब तो हासिल करता है मगर उसके मक़सद को पूरा नहीं करता जिसके बदले फ़ितरत ने ये सुकून दिया था। प्रकृति उस व्यक्ति को सज़ा दिये बग़ैर नहीं छोड़ सकती जो उसकी अवहेलना व ग़द्दारी पर आमादा हो। मेरे सामने कई ऐसे लोगों की मिसालें मौजूद हैं जिनको प्रकृति की इस अवहेलना व ग़द्दारी की सज़ा मिली है। एक औरत ने अपना गर्भ गिरा दिया कि अभी से क्या बच्चों का झंझट पाला जाये, अब बर्सों से वो गर्भवती होने की इच्छा करती है, मगर गर्भवती नहीं होती।

एक दूसरी औरत के दो या तीन लड़के थे, चौथे गर्भ को नष्ट कर दिया फिर उसके तीनों बच्चे एक-एक करके मर गये, अब वो गर्भ और बच्चे के लिये तरस रही है। मर्द-औरत दोनों सेहतमन्द होने के बावजूद औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं। एक तीसरा वाक़्या भी सुन लीजिये, एक उच्च शिक्षा प्राप्त सरकारी कर्मचारी ने उन्नति की इच्छा में सिर्फ़ दो ही बच्चे एक लड़की और एक लड़के पर संतोष किया। लड़के को उच्च शिक्षा दिला रहा था कि एक सफ़र में जाते हुए ट्रेन की चपेट में आ गया और इन्तिक़ाल कर गया। मां की हालत पागलों से बदतर और बाप मुअरक़्क़ा इबरत बना हुआ। बिल्कुल सच है कि प्रकृति अपने मुजरिमों को कभी नहीं बख़्शती उससे बदला लेकर रहती है, अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती है।

आपके दीनी सवालात और उनके जवाबात

आप अपने दीनी सवालाता हमारी वेबसाइट पर भी पूछ सकते हैं

www.abulhasanalinadwi.org

बैंक की नौकरी

प्रश्नः क्या बैंक में नौकरी करना जायज़ है? अगर नहीं तो क्यों? (अरसलान, काशीपुर)

उत्तरः बैंक की ऐसी नौकरी जिसमें ब्याज के लेन–देन लिखने पड़ते हों या उनसे वास्ता पड़ता हो, ठीक नहीं है, इसलिये कि हुज़ूर अकरम स0अ0 ने ऐसे आदमी को मलऊन ही न क़रार दिया बल्कि बल्कि उसे सूदख़ोर की संज्ञा तक दी है।

तावीज़ का हुक्म

प्रश्नः इस्लाम में तावीज़ का क्या हुक्म है? (अब्दुर्रहमान, बिहार)

उत्तरः तावीज़ में अगर कोई शिर्किया कलमा या मुश्रिकाना अक़ीदा न हो और इस बात पर पूरा यक़ीन हो कि शिफ़ा व सेहत देने वाली ज़ात अल्लाह ही की है, और ये तावीज़ सिर्फ़ ज़रिया है तो तावीज़ करना और करवाना इस्लाम में जायज़ है। हदीसों में जिन तावीज़ों के से सख़्ती से मना किय गया है वो वही तावीज़ें हैं जिनमें शिर्किया कलमे का इस्तेमाल और अक़ीदे की ख़राबी थी।

मज़ार पर हाज़िरी और सलाम

प्रश्नः मज़ार पर जाना किस हद तक ठीक है? क्या मज़ार पर सलाम करना सही है? (इमरान, लखनऊ)

उत्तरः हदीस शरीफ़ में क़ब्र पर जाने का जो फ़ायदा बताया गया है वो मौत की याद है, लिहाज़ा क़ब्र पर या मज़ार पर इस ग़रज़ से जाना जायज़ व ठीक है। इसी तरह क़ब्र पर या मज़ार पर सलाम करना सही है, हुज़ूर अकरम स0अ0 से मुख़्तलिफ़ अल्फ़ाज़ से कब्र पर सलाम करना मरवी है।

ग़ैर महरम से मोबाईल पर बात करना

प्रश्नः क्या एक ईमान वाला दूसरी ईमान वाली या ग़ैर ईमान वाली को फ़ोन पर, मैसेज से, इन्टरनेट पर बात करते हुए उसे दीन के अहम मसले बता सकता है? (अब्दुल्लाह)

उत्तरः कोई नामहरम अगर ख़ुद से कोई दीनी मसला पूछे तो उसको बताना जायज़ है, लेकिन इस ज़रूरी बात के अलावा दूसरी बातें करना जायज़ नही है।

मसलक का इख़्तिलाफ़

प्रश्नः मसलक के बीच इख़्तिलाफ़ क्यों हैं? कौन सा मसलक सही है? (मुहम्मद महबूब, हैदराबाद)

उत्तरः मसलक कहते हैं दीन व इस्लाम के तरीक़े पर अमल करने को। क़ुरआन व हदीस की रोशनी में जो भी तरीक़ा अपनाया जायेगा वो दुरुस्त होगा, जैसे हनफ़ी, शाफ़ई, मालिकी, हम्बली चार मशहूर मसलक हैं, इन मसलकों के बीच जो इख़्तिलाफ नज़र आते हैं वो आम मसलों में होते हैं, इस्लाम की बुनियाद पर और उसके अक़ीदे में कोई इख़्तिलाफ़ नहीं, और इस्लाम मे आम मसलों में इख़्तिलाफ़ की गुन्जाइश है। ये चारों मसलक हक़ पर हैं और इसकी अवाम की सहूलियत के लिये रखा गया है और अवाम को उनमें से किसी भी एक मसलक पर अमल करना चाहिये, लेकिन अगर किसी के अन्दर इतनी सलाहियत पैदा हो जाये कि वो ख़ुद क़ुरआन व हदीस को समझ सके उनसे जुड़े इल्म व फ़न में इतनी महारत कर ले कि वो ख़ुद मसले को हल कर सके तो उसके लिये मसलक पर अमल करना ज़रूरी नहीं। लेकिन अगर इख़्तिलाफ़ इस्लाम की बुनियादी बातों में हो तो वो मसलक नहीं है और वो इस्लाम के नाम पर एक फ़िरक़ा है, जैसे शिया वग़ैरह। इस तरह के फ़िरक़े गुमराह हैं और उनसे हर हाल में दूर रहना ज़रूरी है।

परफ्यूम लगाकर नमाज़ पढ़ना

प्रश्नः परफ़्यूम में एलकोहल होता है? तो क्या परफ़्यूम लगाकर नमाज़ अदा कर सकते हैं? (मुज़फ़्फ़र सैफ़ी, अमरोहा)

उत्तरः नमाज़ पढ़ सकते हैं क्योंकि इत्र में जो अल्कोहल इस्तेमाल होता है विशेषज्ञों के अनुसार उसमें नशा नहीं होता इसलिये नापाक नहीं होता।

अस्मा–ए–हुस्ना

कुरआन शरीफ़ में अल्लाह तआला के ९९ सिफ़ाती नाम बयान किये गये हैं और उनकी बड़ी फ़ज़ीलत आयी है। हुज़ूर स०अ० ने अल्लाह के इन नामों को ये फ़रमाते हुए गिनाया है कि अल्लाह तआला के निन्यान्वे नाम है जो उनको पढ़ेगा जन्नत में जायेगा।

ये मुबारक नाम आम तौर किताबों में मिलते हैं। इन अस्माए गिरामी के पढ़ने के बाद दुआ करना मक़बूलियत की निशानी है।

अलग़रज़ अल्लाह के ज़िक्र की, हदीसों में बड़ी फ़ज़ीलत आयी है, उन हदीसों का खुलासा ये है कि आमाल में अफ़ज़ल ज़िक्र है, ज़िक्र करने वाला ज़िन्दा है, मुर्दा नहीं, ज़िक्र करने वाले को फ़रिश्ते घेर लेते हैं और उन पर रहमत नाज़िल होती है, अल्लाह तआला उन पर फ़ख़्र करता है, क़ब्र के अज़ाब से हिफ़ाज़त होती है, अल्लाह को याद करने वाले क़यामत में नूर के मेम्बरों पर होंगे, ज़िक्र के हल्क़े जन्नत के बाग़ में, अल्लाह की याद करने वाला अर्श के साये में होगा, ज़िक्र करने वाले अक़लमन्द होते हैं।

एक अक्सीर अमल

आख़िर में दो वाक़्ये मुख़्तसर ज़िक्र किये जाते हैं:

१– एक बार आप स०अ० की ख़िदमत में फ़क़ीर व मुहाजिरीन हाज़िर हुए और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह स०अ० मालदार ऊंचे दर्जे ले गये। हुज़ूर स०अ० ने पूछा क्यों?वो लोग बोले, नमाज़ों में वो लोग हमारे शरीक हैं, लेकिन मालदार होने की वजह से ये लोग सदक़े करते हैं, ग़ुलाम आज़ाद करते हैं, और हम ये काम नहीं कर सकते। हुज़ूर स०अ० ने फ़रमाया: मैं तुम्हें ऐसी चीज़ बताता हूं जिस पर अमल करके अपने पहलों से और बाद वालों से बढ़ जाओ, और कोई शख़्स तुमसे उस वक़्त तक आगे न बढ़ेगा जब तक कि यही अमल न करे। सहाबा रज़ि० ने अर्ज़ किया, ज़रूर बताइये, आप स०अ० ने इरशाद फ़रमाया:

"हर नमाज़ के बाद सुब्हान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर तैतीस–तैतीस बार पढ़ लिया करो।"

उन हज़रात ने शुरू कर दिया, जब मालदारों को मालूम हुआ तो उन्होंने भी ये अमल शुरू कर दिया। फ़क़ीर दोबारा हाज़िर हुए, और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह स०अ० हमारे मालदार भाई भी यही पढ़ने लगे, हुज़ूर स०अ० ने इरशाद फ़रमाया कि अल्लाह का फ़ज़ल है जिसको चाहे अता फ़रमाये।

R.N.I. No.
UPHIN/2009/30527

Monthly
ARAFAT KIRAN
Raebareli

Postal Reg. No.
RBL/NP - 10

VOLUME-05 | MAY 2013 | ISSUE-05

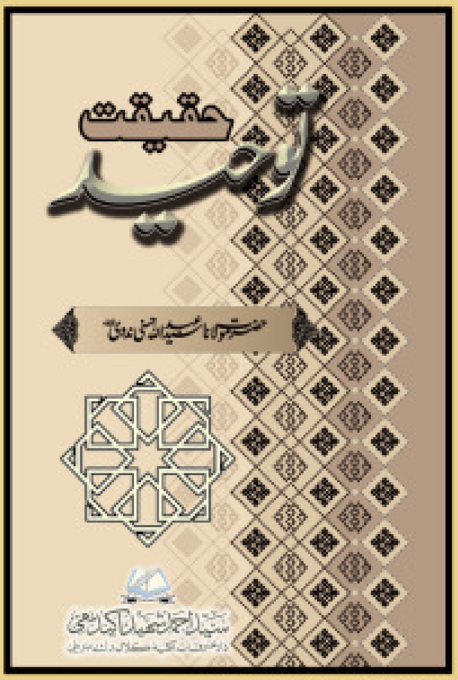

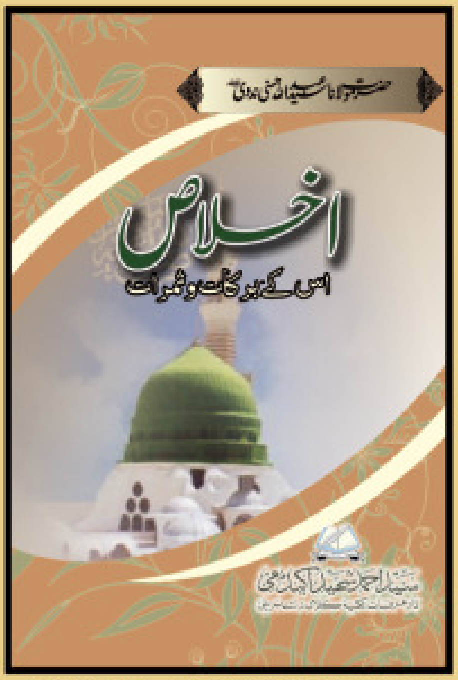

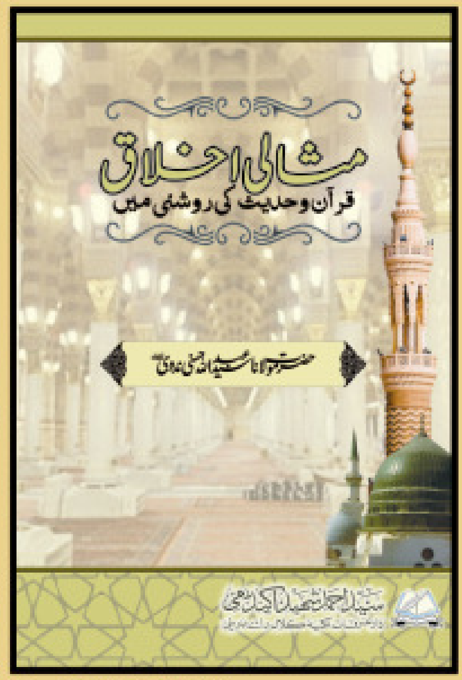

CONTACT: SAYYID AHMAD SHAHEED ACADEMY
MOBILE: 9918385097

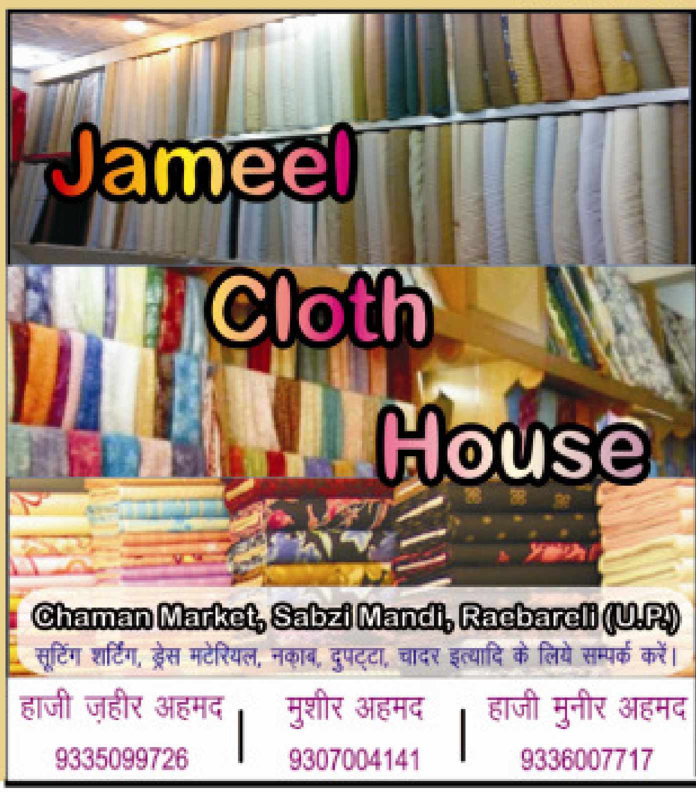

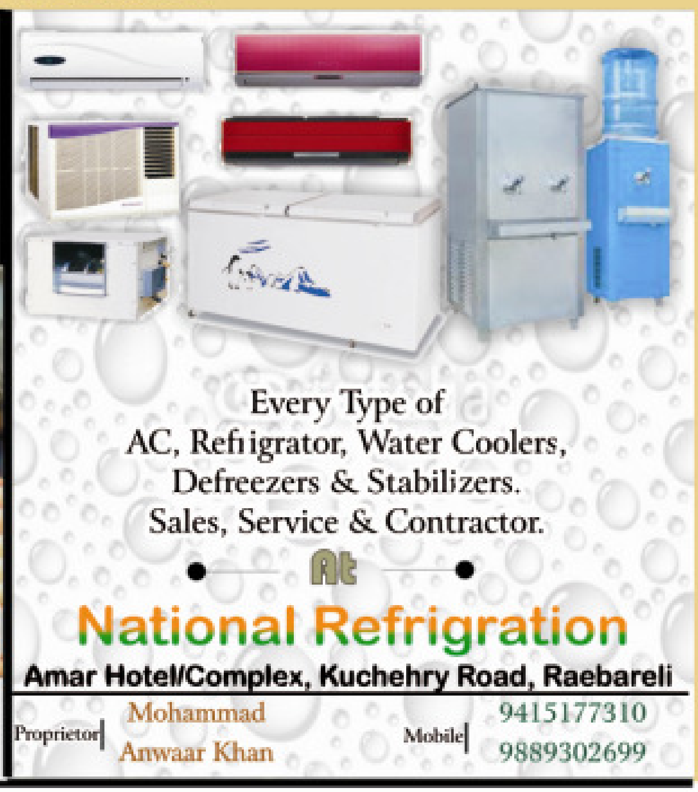

Editor: Bilal Abdul Hai Hasani Nadwi

MARKAZUL IMAM ABIL HASAN AL-NADWI

Dare Arafat, Takiya Kalan, Raebareli, U.P.
Mobile: 9918385097, 9918818558
E-Mail: markazulimam@gmail.com
www.abulhasanalinadwi.org

Printed & Published by: Mohammad Hasan Nadwi
On Behalf of: Markazul Imam Abil Hasan Al-Nadwi
Printed at S.A. Offset Printers, Masjid ke peeche, Phatak Abdullah Khan, Sabzi Mandi, Station Road, Raebareli, U.P.